सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० पॉयनियर, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

EC's Turning 18 initiative targets young, first time voters

RAJESH KUMAR ■ NEW DELHI

As urban and youth apathy is a cause of concern to improve the voter turnout during the 2024 Lok Sabha elections, the Election Commission (EC) has launched a variety of campaigns - 'Turning 18' and 'You are the One' across social media platforms to nudge young and urban voters to cast their ballot in the Lok Sabha elections.

The commission has also initiated a campaign urging people to first verify then amplify what information they get on social media related to elections. Through engaging storytelling and captivating visuals like 'Whatever it takes - we walk the extra mile, so you don't have to', the campaign highlights the dedication and commitment of individuals in ensuring free, fair and participative elections. Currently the commission has social media presence on major platforms, including Facebook, Instagram, X, YouTube with recent additions of Public App, WhatsApp Channel and LinkedIn.

The EC's 'Turning 18,' in the run-up to the 18th Lok Sabha Elections, specifically targets young and first-time voters. The primary objective is to galvanise youngsters to participate in the upcoming elections and address the critical issues of urban and youth apathy noticed in previous elections while the campaign 'You are the One'aims to recognise and celebrate the invaluable contributions of various stakeholders involved in the electoral process.

The 'Turning 18' campaign employs various compelling themes and strategies to capture the attention of its audience. The strategy involves branding of individual series with thematic logos for easy identification and association. Additionally, the campaign portrays a comparison of past and recent elections, as 'then vs now' to underscore the progress made over time.

"By emphasising the significance of voting immediately upon turning 18, the campaign seeks to inspire a sense of civic responsibility among young voters. Furthermore, infographics, highlighting the growing participation of the women electorate, especially in the age bracket of 18-30 showcases the inclusivity of India's democratic process," it said.

Continued on Page 8

EC's Turning 18 initiative targets young, first...

From Page 1

"The impact of the 'Turning 18' campaign is substantial, with widespread amplification facilitated by State Chief Electoral Officers (CEOs) and the national public broadcaster, DD News and Akashvani. Moreover, the EC has collaborated with its popular network of National and State SVEEP icons to have a multiplier effect," the EC said.

"Building on 'Turning 18' campaign, EC launched another campaign titled 'You Are The One.' This initiative aims to recognise and celebrate the invaluable contributions of various stakeholders involved in the electoral process. From voters and political parties to Booth Level Officers (BLOs), ground staff, polling parties, administrative personnel, media professionals, central forces, and security personnel, each stakeholder plays a vital role in ensuring the integrity and efficiency of the electoral process.

Through engaging storytelling and captivating visuals (like 'Whatever it takes - we walk the extra mile, so you don't have to') the campaign highlights the dedication and commitment of these individuals, inspiring pride in their roles and responsibilities within the democratic framework".

"It involves highlighting the key stakeholders, interesting anecdotes, and stories from the elections of the past, and videos/reels that unravel the tireless efforts of polling teams working behind the scenes, navigating challenging terrains to ensure every voter is reached.

There are various other interesting features of the campaign like 'chunaavi kisse' sharing interesting election stories from previous elections. Then A-Z of Indian elections series informs users about elections related terms and processes. Word play with the EC is another series where users are engaged to hunt for election related terms. 'Sawal jawab' series to answer the most relevant questions related to the electoral process. Through polls and pixel series, the EC shares a visual journey of Indian elections since inception.

In response to the proliferation of fake news and misinformation online, the poll body said it has introduced the 'VerifyBeforeYouAmplify' initiative as highlighted by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar recently. The campaign seeks to bust fake news and urge people to exercise caution and diligence before sharing information on social media platforms.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...दै० पॉयनियर, लखनऊ... दिनांक ...08 APR 2024

EC uses social media to nudge electors to vote in LS polls

PTI ■ NEW DELHI

The Election Commission has launched a variety of campaigns across social media platforms to nudge young and urban voters to cast their ballot in the Lok Sabha elections.

The poll watchdog has also initiated a campaign urging people to first verify then amplify what they get on social media related to elections.

Polling for seven phase Lok Sabha elections will commence from April 19 with June 1 being the last phase.

According to the EC, it is nudging young and first-time voters through 'Turning 18' campaign, urging them to come to the polling station to vote.

'You are the One' campaign seeks to recognise importance of different stakeholders in the election process, including polling machinery, in ensuring that no voter is left behind.

From voters and political parties to booth level officers (BLOs), ground staff, polling parties, administrative personnel, media professionals, central forces, and security personnel, each stakeholder plays a vital role in ensuring the integrity and efficiency of the electoral process.

Through engaging storytelling and captivating visuals like 'Whatever it takes -- we walk the extra mile, so you don't have to', the campaign highlights the dedication and commitment of individuals in ensuring free, fair and participative elections.

In response to the proliferation of fake news and misinformation online, the poll body said it has introduced the 'VerifyBeforeYouAmplify' initiative as highlighted by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar recently.

The campaign seeks to bust fake news and urge people to exercise caution and diligence before sharing information on social media platforms.

"This proactive measure aims to empower citizens to verify the accuracy and authenticity of content before amplifying it, thereby mitigating the spread of false information and safeguarding the integrity of the electoral process," the poll body said on Sunday.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० पॉयनियर, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

EC Suvidha portal receives 73,379 requests in 20 days

PIONEER NEWS SERVICE ■
NEW DELHI

In a span of just 20 days, since the announcement of elections and the Model Code of Conduct (MCC) becoming operational, the Suvidha platform received an impressive 73,379 permission requests from political parties and candidates, of which 44,626 requests (60 per cent) had been approved.

Maximum requests were received from Tamil Nadu (23,239), followed by West Bengal (11,976) and Madhya Pradesh (10,636). The least number of requests so far have been received from Chandigarh (17), Lakshadweep (18) and Manipur (20)..

According to the Election Commission, the applications submitted by by parties and candidates include requests for booking rally grounds, opening temporary party offices and operating video publicity vans. The seven phase elections were announced on March 16 and voting would commence from April 19. The last phase is on June 1.

Nearly 11,200 requests had been rejected which is 15% of the total requests received and 10,819 applications cancelled as were invalid or duplicate. Rest of the applications are under process as per the details available till April 7, 2024.

The portal has received requests from Tripura (2844), Assam (2609), Bihar (861), Goa (28), Gujarat (648), Haryana (207), Himachal Pradesh (125), Karnataka (2689), Kerala (1411), Maharashtra (2131), Meghalaya (1046), Odisha (92), Rajasthan (2052), Punjab (696), Uttar Pradesh (3273), Chhattisgarh (472), Jharkhand (270), Uttarakhand (1903) and Telangana (836).

The Suvidha portal is a technological solution developed by ECI to ensure a level playing-field upholding the democratic principles of free, fair and transparent elections. Demonstrating an impressive track record, the Suvidha Portal streamlined the process of obtaining and acting upon requests for permissions and facilities from political parties and candidates during the election period.

"Recognizing the importance of the election campaign period, where parties and candidates engage in activities to reach out to voters, the Suvidha Portal caters to a diverse range of permission requests transparently on the First in First Out principle. It caters to permissions for organising rallies, opening temporary party offices, door-to-door canvassing, video vans, helicopters, obtaining vehicle permits, distributing pamphlets," the Election Commission said.

According to the Election Commission (EC), the Suvidha Platform not only enhances the efficiency of the election process but also ensures transparency by providing real-time tracking of applications, status updates, times tamped submissions, and communication via SMS. Furthermore, the permission data available on the portal serves as a valuable resource for scrutinising election expenditures, contributing to greater accountability and integrity in the electoral process.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० पॉयनियर, लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

DM issues guidelines for heat wave protection

Lucknow (PNS): In compliance with directives from the state government, District Magistrate Surya Pal Gangwar has issued guidelines to all department heads in Lucknow to ensure protection and safety from heat waves, aiming to minimise the adverse effects on the public.

Instructions have been given for all departments to arrange for shade, drinking water, and free water provided by self-help groups at parks, tourist spots, bus stands, railway stations, and other public areas in Lucknow. Gangwar stressed the importance of displaying posters regarding heat wave protection and safety measures in parks and public places to raise public awareness.

"Primary and community hospitals must ensure the availability of ORS pouches and medications for heat wave protection, with doctors trained to provide immediate treatment to patients," he emphasised.

Furthermore, he directed the adjustment of timings for degree/Inter colleges and primary schools, urging students to refrain from outdoor activities and field visits during peak heat hours.

"Workers, including those under MNREGA, should not be compelled to work during the afternoon. Adequate shade and drinking water must be provided at workplaces," he said, outlining responsibilities for officials in both rural and urban areas. Provisions for shade, water, and fodder were to be made at the zoo to alleviate heat stress for animals.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० पॉयनियर, लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

Separate accounts for poll expenses of candidates

PNS ■ LUCKNOW

In view of the upcoming Lok Sabha elections, District Magistrate Surya Pal Gangwar, also serving as the district election officer, has mandated all banks to establish separate accounts for election-related expenses of the candidates.

"All election expenses will be managed through these accounts. Each bank will provide distinct banking facilities to the candidates and their associates," he stated.

Furthermore, he directed banks to monitor withdrawals and deposits exceeding Rs 10 lakh and report such transactions to him.

"Continuous withdrawals or deposits exceeding Rs 1 lakh in accounts of candidates' dependents will also be reported," he said.

Regarding cash transportation by ATM vans and other vehicles, the district election officer stipulated that only cash from the respective bank, and no other party, should be carried under any circumstance.

"Accompanying personnel must possess identity cards issued by relevant agencies. Vehicles carrying cash should provide clear documentation and allow direct inspection to verify compliance with bank instructions for ATM refilling or inter-branch cash transfer," he added.

Noting cash movement by agencies for doorstep service or payment collection, the officer required banks to provide vehicle details to the District Election Office and ensure mandatory installation of tracking systems like GPS.

Standard operating procedures (SOPs) should be established for non-ATM cash transportation, he said.

Instructing liquor vendors to adhere to the Model Code of Conduct for the Lok Sabha elections, the officer prohibited public alcohol consumption and loitering around liquor shops, except in designated premises.

"No alcohol consumption should cause inconvenience or disturb public peace. Violations will lead to strict legal action, including fines and imprisonment up to six months," he warned.

To prevent liquor misuse during the elections, strict limits on the sale of country liquor have been imposed.

Regarding printing and publishing, the officer cited Section 127 of the Representation of People Act, mandating printing presses to provide election material records to the district administration.

Publishers must sign a declaration (Form A), countersigned by printers, and submit four copies of printed material (Form B) to the district election officer within three days of publication.

Permission from the chief election officer is required for printed material, with mandatory inclusion of printer and publisher details. The DM clarified that any form of copying, including photocopying, falls under printing regulations, with violations attracting imprisonment up to six months and fines up to Rs 2,000. Licence cancellation for printing presses is also possible for severe violations.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ 8 APR 2024

समाचार पत्र का नाम दै० टाइम्स ऑफ इण्डिया, लखनऊ दिनांक

Liquor consumption outside shops, public places banned

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Following enforcement of the Model Code of Conduct for the Lok Sabha elections, the district administration has prohibited the consumption of liquor outside or near liquor shops.

District Magistrate Surya Pal Gangwar has directed liquor vendors to ensure that there's no consumption of liquor in places other than those that have been awarded the required permission by the departments concerned. The DM said that consumption of liquor in public places, parking spaces outside liquor vends and on the roadside is strictly prohibited.

"Liquor should not be consumed by parking vehicles outside liquor shops or standing near vends, which may cause inconvenience to the general public and may disturb the public peace and law and order situation. Any person found to be violating this would face strictest legal action which may include fine and jail up to six months," he said.

Besides, the administration has also imposed a limit on the sale of liquor. According to the administration, while the prescribed limit for the sale of country-made local liquor—BIO and bottled in India (BII) category—is one litre per person, it is 4.5 litre per person for imported foreign liquor brands.

"Likewise, only 2.5 litres of wine and six litres of beer in both BIO and BII category can be sold to an individual.

The DM also directed the printing presses and publishers to comply with restrictions on the unauthorized printing of pamphlets and posters related to elections.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम: दै0 पॉयनियर, लखनऊ   दिनांक: 8 APR 2024

LS election: DEO reviews preparations

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

District Magistrate/ District Election Officer (DM/DEO) S Rajalingam gave necessary guidelines during the review meeting with the in-charges/nodal officers and assistant election officers (AEOs) in the Collectorate auditorium here on Sunday in view of the preparations for the Lok Sabha General Election-2024. Instructing the officers concerned, he said the district administration is committed to conducting the Lok Sabha elections in a free, fair and fear-free manner, for this all preparations should be ensured. Laxity will not be tolerated at any level in this direction, he added.

The DEO directed the officers to ensure that they discharge their assigned responsibilities with full promptness and seriousness. It should be ensured that all preparations are completed on time. He directed the officers to ensure arrangements for ramps, electricity connections, drinking water and toilets etc at 100 per cent polling stations. He said that if any deficiency is found at any polling station, it should be filled immediately.

He directed the officers to prepare mapping of vulnerable polling stations and list of vulnerable and critical booths. During the meeting, preparation of EVMs and its randomisation, preparation along with the action plan for training of election related EVMs and personnel, preparation along with the action plan for vote counting, proper training of personnel engaged in election work, videography plan and training of videographers were also discussed. Necessary guidelines were given while discussing the detailed checking of SST teams by setting up checking points, preparation of election related materials, adequate arrangements for light and heavy vehicles used in election work. Chief Development Officer Himanshu Nagpal, ADM (City), ADM (Finance/ Revenue), ADM (Administration) along with all the AEOs, nodal officers and in-charge officers were present.

DM/DEO S Rajalingam reviewing poll process in Varanasi on Sunday.

Earlier DEO S Rajalingam inspected the control room/ Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) set up in Vikas Bhawan for the Lok Sabha elections 2024 here on Saturday and gave necessary directions to concerned officers. The DEO directed the officers to pay special attention to registering information and complaints in the 24x7 operated control room and their quality disposal. For this, complaint register, media certification register, paid news register, social media register etc were created and information was recorded and quality disposal was explained. The DEO said one employee should be made accountable for each work through whom all the information can be given. CDO Himanshu Nagpal, control room incharge Vandita Srivastava, assistant officer incharge and other officers and employees were present. Earlier, ARO/ Additional Municipal Magistrate -III visited various booths located in Harhua areas under the Ajgara assembly constituency of the district. Ajgara (reserved) and Shivpur are assembly segments of Chandauli parliamentary constituency while Pindra assembly is a part of Machhalishahar (SC) Lok Sabha seat in Jaunpur district. The other five assembly constituencies of the district (City South, City North, Varanasi Cantt, Rohania and Sewapuri) comprise Varanasi Lok Sabha seat. During the inspection, information related to voters' facilities like drinking water, shades, electricity arrangements etc was taken and seen on the spot. Booth level officers were directed to keep all the members of a family as voters at the same booth. An appeal was also made to the voters to ensure active participation in the voting to be held on June 1 and to cast their vote. Meanwhile, Additional District Magistrate (Administration)/ Deputy District Election Officer Vipin Kumar said as per the instructions of the Election Commission of India, the final publication of the voter list was done on January 23 last. He appealed to all voters to definitely check their names in the published voter list and if anyone's name is not in the voter list or the names of the family members are in different booths, then they can contact on mobile number 9454417036 or toll free number-1950 for inclusion of name in the voter list. One can also get any other information related to the list. He said the voters can apply themselves by installing the Commission's website https://Voters.eci.gov.in and VHA Voter Helpline App (VHA) on their mobile.

MEDIA ORGANISATIONS SHOULD AVOID PAID & FAKE NEWS: KUMAR

Additional District Magistrate (Administration)/ Deputy District Election Officer (DyDEO) Vipin Kumar giving necessary information to the representatives of print and electronic media in the meeting held in the Collectorate Auditorium here on Saturday, said media organisations should avoid paid and fake news because special monitoring is being done on paid news during Lok Sabha General Elections-2024.

He said that the district administration is committed to conduct the Lok Sabha elections in a free, safe and well-organised manner apart from ensuring 100 per cent compliance with the guidelines of the Election Commission of India. He said that laxity will not be tolerated at any level. According to him, praising a candidate by taking money comes under the category of paid news. He said publishing news for money will be in the category of paid news.

"For this, special attention is being kept on print, electronic media as well as social media. Glorifying any candidate, indicating the inclination of voters in favour of a candidate, astrological analysis regarding someone's victory claim, bulk SMS/voice messages etc will also come under the category of paid news," he said, adding that regarding the misleading information received in the WhatsApp group, a version of the same must be obtained by talking to the authorities concerned. "Such information may be fake. Such misleading information should never be forwarded in WhatsApp groups,"he advised.

Additional Municipal Commissioner Rajiv Rai, Assistant Municipal Commissioner Amit Shukla, Information Officer Surendra Nath Pal, Prashant Kakkar of PIB and representatives of print and electronic media were present in the meeting.

Monday, April 8, 2024

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै० हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ

समा

दिनांक - 8 APR 2024

Highs, lows and belied hopes showcase political gender gap

Some election cycles showcased promising strides with increased participation of women candidates and successful electoral victories, others saw a decline

Brajendra K Parashar
bkparashar@htlive.com

LUCKNOW: Representation of women from Uttar Pradesh in the Lok Sabha has been marked by highs and lows since the inception of parliamentary elections in India in 1951-52.

Despite women now outpacing their male counterparts in voter registration and voting, it took six decades for them to achieve double-digit representation from the state in the Lok Sabha.

Dawn of hope in first election

The very first Lok Sabha elections in 1951-52 (held between October 1951 and February 1952) saw four women making it to Parliament from Uttar Pradesh, igniting hope for women getting a bigger role in politics. The first elections were held for 69 Lok Sabha seats between October 1951 and February 1952.

Among the first four women who represented Uttar Pradesh in the first Lok Sabha was Maharani Sahiba Kallendu Mati Shah, an independent candidate from Garhwal District (West), now in Uttarakhand.

The other three were Uma Nehru, Ganga Devi and Vijay Laxmi Pandit. The three Congress candidates won from the Sitapur-cum-Kheri district (W), Barabanki and Lucknow, respectively, as per the Election Commission of India data.

After winning four seats in the first election, only one woman was elected from the state in the 1957 Lok Sabha polls though six contested. The lone woman winner, according to ECI's statistical report was Sushila Nayar who won the Jhansi seat as a Congress candidate, defeating the CPI nominee. In 1962, six of the 14 women contestants won.

They were Ganga Devi (Congress) from Mohan Lal Ganj LS seat, Basant Kumari (SWA) from Kaiserganj, Subhadra Joshi (Congress), from Balrampur, Savitri Nigam (Congress) from Jhansi and Kamla Chaudhary (Congress) from Hapur.

In 1967, seven of the 13 women candidates made to the Lok Sabha. They included Indira Gandhi, who had become Prime Minister months earlier in January 1966 as a Rajya Sabha member. In 1971, five women candidates were elected from the state to the Lok Sabha but in the next election in 1977, only three of the 13 women contestants were victorious.

Number of women contestants increases, tally of winners stagnant

In 1980, the number of women contestants grew to 35 but only seven of them could win. Six of the 35 candidates had their security deposit forfeited.

In the 1984 Lok Sabha polls, there were 44 women candidates in the fray, but only nine won in Uttar Pradesh. In 1989, only six of 41 women contestants won. In the next election in 1991, the number of women candidates winning came down to three. In the 1996 Lok Sabha polls in the state, the number of women contestants swelled to 107 of whom only seven won. In 1998, nine of 56 women contestants won. In the 1999 polls, there were 61 women candidates and nine won.

In the 2004 Lok Sabha elections, only seven of the 61 female contestants from Uttar Pradesh could go to Parliament.

Double digit representation in 2009

Women's representation entered double digits for first time in 2009 when 11 of the 86 female contestants won in U.P. Thirteen women were elected from U.P. in 2014 in the Modi wave. The tally came down to 11 in 2019 but it was joint highest women representation from a state that year.

While some election cycles showcased promising strides with increased participation of women candidates and successful electoral victories, others saw a decline, raising questions about the persistent gender gap in political leadership.

"U.P. has been one of the poorest, economically backward and most inferior on gender-equality indices. This is also true for women's political participation in the U.P. notwithstanding 11 MPs (joint highest with Bengal) were elected in the 17th Lok Sabha from UP," said Rajesh Mishra, a social scientist and former professor at Lucknow University. Politics, he pointed out, had been hitherto a male field throughout human history.

"This explains the lesser representation of women in Parliament," Mishra said.

WOMEN OUTNUMBER MEN IN VOTER REGISTRATION, VOTING

In the 1971 Lok Sabha elections (data not available for earlier polls), there were 2,095,9342 women electors in the state, and it grew to 7,14,82,605 in 2024, that is more than a 240% rise. In 1971, the women voter turnout was just 38.84% out of the total 46%. In 2019, elections, the women voter turnout was 59.56% against the 58.53% male vote percentage, the total turnout being 59.29%. Around three dozen of 80 LS constituencies in the state witnessed women voters beating male voters in the turnout.

Not only this, but women are also ahead of men in registering themselves as voters. As per the figures released by the Election Commission in January this year a total 31,19,121 women registered their name in electoral rolls as new voters against 25,77,967 new male voters. The rise of political efficacy (eagerness for voting) among women, according to Mishra, indicates the political aspiration among them, and conscientious citizenship.

"Given an opportunity, women may become a formidable force to reckon with," he said.

Will women find a greater representation too in the Lok Sabha in 2024? Only results will tell on June 4.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ चुनाव आयोग

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शुरू किया अभियान

नई दिल्ली। देशभर में लोकसभा चुनाव की बयार चल रही है। एक तरफ राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर अलग अलग अभियान चलाने शुरू कर दिए हैं। युवा और शहरी मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव निगरानी संस्था द्वारा एक अभियान भी शुरू किया है। इसमें मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे सोशल मीडिया पर चुनाव से संबंधित जो कुछ भी देखते हैं, उसे पहले सत्यापित करें और फिर उसका प्रचार करें।

चुनाव आयोग ने चलाए ये अभियान

बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून को आखिरी चरण होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि ह्यटर्निंग 18 अभियान के माध्यम से युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं से मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आने का आग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ह्यआप एक हैं अभियान भी चलाया है। इसके तहत मतदान मशीनरी सहित चुनाव प्रक्रिया के महत्व को समझाने की कोशिश. की गई है। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी मतदाता पीछे न छूटे।

ऑनलाइन फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने 'VerifyBeforeYouAmplify पहल की शुरूआत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि इस अभियान का उद्देश्य फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करना है। इस अभियान का मकसद लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतने का आग्रह करना है। चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि इसका उद्देश्य मतदाताओं को सोशल मीडिया पर कोई सूचना साझा करने से पहले उसकी सटीकता और प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे गलत सूचना के प्रसार को कम किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा की जा सके।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 जनसत्ता, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा निर्वाचन आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

निर्वाचन आयोग ने युवा और शहरी मतदाताओं को लोस चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर कई अभियान की शुरुआत की है।

आयोग ने एक अभियान के जरिए लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर, चुनाव से संबंधित जो भी सूचना हासिल करते हैं उसे सत्यापित करने के बाद साझा करें। लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा जबकि एक जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। आम चुनाव सात चरणों में हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार, वह 'टर्निंग 18' अभियान के जरिए युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को से मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने का आग्रह कर रहा है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

सुविधा पोर्टल से मिले 3273 आवेदन, 2453 को स्वीकृति

लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव में एक समान अवसर प्रदान करने के लिए सुविधा पोर्टल व एप बनवाया है। इस पोर्टल के जरिए राजनीतिक दलों को चुनावी रैली, सभाएं, रोड शो व अन्य सभी प्रकार की अनुमति आनलाइन प्रदान की जाती है। अब तक प्रदेश में 3,273 आवेदन पोर्टल के जरिए आयोग को प्राप्त हुए, इनमें से 2,453 को स्वीकृति भी मिल चुकी है। (राब्यू)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० वॉयस ऑफ लखनऊ, लख दिनांक - 8 APR 2024

विशेष खबर

आम चुनाव के दौरान भीषण गर्मी के मद्देनजर मौसम विभाग अधिकारियों को बेहतर तैयारी में मदद करने के लिए पूर्वानुमान संबंधी सूचना प्रदान कर रहा है

एक राष्ट्र–एक चुनाव के लिए रखें मौसम का ध्यान

एजेंसी

नयी दिल्ली। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से जुड़े सरकार के प्रस्ताव पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि अधिकारियों को इतनी बड़ी कवायद की योजना बनाते समय निश्चित रूप से मौसम की स्थिति और जलवायु को ध्यान में रखना चाहिए। महापात्र ने एक साक्षात्कार में कहा कि आम चुनाव के दौरान भीषण गर्मी के मद्देनजर मौसम विभाग अधिकारियों को बेहतर तैयारी में मदद करने के लिए पूर्वानुमान संबंधी सूचना प्रदान कर रहा है, लेकिन उसने रैलियों और मतदान के समय में बदलाव की सलाह नहीं दी है। एक राष्ट्र, एक चुनाव कराने के लिए आदर्श समय के बारे में पूछे जाने पर आईएमडी महानिदेशक ने कहा कि अधिकारियों को योजना बनाते समय मौसम की स्थिति और जलवायु पर विचार करना चाहिए। एक राष्ट्र, एक चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के विचार के संदर्भ में है।

सरकार ने यह विचार प्रस्तावित करते हुए कहा है कि इससे हर साल कई बार चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं करनी पड़ेगी और सरकारी खजाने पर बोझ घटेगा तथा राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार पर किये जाने वाले खर्च में कमी आएगी। इस साल, नौ अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में लोकसभा चुनाव होने के

आईएमडी) के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र

दौरान लगभग एक अरब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि, चुनाव के दौरान भीषण गर्मी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आईएमडी के अनुसार, इस अवधि के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ज्यादातर दिन लू चलने का अनुमान है। महापात्र ने कहा कि मतदाताओं और कर्मचारियों के बीच भीषण गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। भीषण गर्मी के पूर्वानुमान के मद्देनजर उन्होंने कहा कि चुनाव के दिनों में रैलियों, सभाओं और मतदान के लिए पानी, शीतलन सुविधाएं और गर्मी से देखभाल के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। महापात्र ने कहा कि लोग कतार में लगते हैं, तो उनके पास पर्याप्त पेयजल होना चाहिए। अगर लोग बेहोश होते हैं या लू की चपेट में आते हैं तो मदद के लिए प्राथमिक चिकित्सा का इंतजाम और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता होनी चाहिए...छायादार जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। तैयारियों के संदर्भ में यह न्यूनतम आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले आईएमडी से परामर्श किया। उन्होंने कहा, हमने प्रारंभिक चरण में देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मार्च, अप्रैल, मई और जून की जलवायु संबंधी जानकारी प्रदान की ताकि वे विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें कि उन्हें किस हिस्से में और किस समय चुनाव कराना चाहिए। महापात्र ने कहा, हम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और मौसमी आधार पर सभी प्रकार के पूर्वानुमान और अलर्ट भी जारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने उन क्षेत्रों को चिह्नित किया है जहां सामान्य से अधिक तापमान ...शेष

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० जनसत्ता, लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

ऐ भाई...

श्री गंगानगर में रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालतीं 92 वर्षीय पूरन देवी।

सुविधा पोर्टल पर प्रचार गतिविधियों के लिए 73,000 आवेदन मिले

जनसत्ता ब्यूरो

निर्वाचन आयोग ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से उसके सुविधा पोर्टल को 73,000 से अधिक आवेदन मिले हैं, जिनमें विभिन्न प्रचार गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी गई है। आयोग ने कहा कि पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों में रैली के लिए मैदान बुक करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने और वीडियो प्रचार वैन संचालित करने जैसे अनुरोध शामिल हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर 44,600 से अधिक अनुरोधों को मंजूरी दी गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार, प्राप्त कुल अनुरोधों में से लगभग 11,200 या 15 फीसदी को खारिज कर दिया गया और 10,819 आवेदन रद्द कर दिए गए क्योंकि वे अमान्य थे। आयोग के मुताबिक, अधिकतम अनुरोध तमिलनाडु (23,239) से प्राप्त हुए, इसके बाद पश्चिम बंगाल (11,976) और मध्य प्रदेश (10,636) रहे। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि अब तक सबसे कम अनुरोध चंडीगढ़ (17), लक्षद्वीप (18) और मणिपुर (20) से प्राप्त हुए हैं। सुविधा पोर्टल ने उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा अनुमति और सुविधाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० आज, लखनऊ .... दिनांक 0 8 APR 2024

चुनाव आयोग को सुविधा पोर्टल पर मिले 73 हजार से अधिक आवेदन

यूपी से 3 हजार 273, बिहार से 861 और झारखंड से 270 अनुरोध हुये प्राप्त

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आम चुनाव की घोषणा के बाद से केवल 20 दिन में ही सुविधा पोर्टल पर 73 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं। इसमें से 60 प्रतिशत को स्वीकार तथा 15 प्रतिशत अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है। सुविधा पोर्टल चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि सुविधा प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73 हजार 379 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 44 हजार 626 अनुरोध स्वीकार कर लिए गए। लगभग 11 हजार 200 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है तथा 10 हजार 819 आवेदन अमान्य या डुप्लिकेट होने के कारण रद्द कर दिए गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश से 3 हजार 273, बिहार से 861 और झारखंड 270 अनुरोध मिले हैं। सबसे अधिक अनुरोध तमिलनाडु से 23 हजार 239 प्राप्त हुए हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल से 11 हजार 976 और मध्य प्रदेश से 10,636 मिला है। सबसे कम अनुरोध चंडीगढ़ से 17, लक्षद्वीप 18 और मणिपुर 20 से प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सुविधा पोर्टल निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप समान सुविधा उपलब्ध कराता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। सभी हितधारकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। साथ ही इसके माध्यम से चुनाव प्रचार अवधि के महत्व को देखते हुए, रैलियां आयोजित करने, अस्थाई पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति ली जा सकती है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० नवभारत टाइम्स, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

24 हज़ार विस्थापित मतदाता मणिपुर में राहत कैंप से वोट डालेंगे। राज्य में 2955 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से 50% की पहचान संवेदनशील या अति संवेदनशील के रूप में की गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ...... दिनांक ......8 APR 2024......

राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन व आकाशवाणी पर मिला समय

लखनऊ (एसएनबी)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव तथा प्रदेश की विधानसभा उप निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में छह राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के दो राज्यीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी।

■ छह राष्ट्रीय दलों तथा उप्र के दो राज्यीय दलों को समय की हिस्सेदारी का किया गया आवंटन

उन्होंने बताया कि इसमें राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार के लिए लगभग 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें भाजपा को 241 मिनट, कांग्रेस को 148 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट, बसपा को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार के लिए कुल 15 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें भाजपा को 362 मिनट, कांग्रेस को 222 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 68 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 96 मिनट समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य राजधानी केन्द्र पर प्रचार-प्रसार के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों में सपा को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किये गये हैं। साथ ही इन दोनों राज्यीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

उन्होंने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर किसी भी राजनैतिक दल के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निन्दा की गयी हो, धर्मों या समुदायों पर हमला किया गया हो, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक बात, हिंसा भड़काने सम्बन्धी बयान, ऐसा बयान जिसमें न्यायपालिका की अवमानना हो, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दा सम्बन्धी बयान, ऐसा बयान जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो या किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना की गयी हो।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० अमर उजाला, लखनऊ दिनांक 08 APR 2024

दूरदर्शन व आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा उप चुनाव में मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय दलों और दो राज्य स्तरीय दलों को दूरदर्शन व आकाशवाणी पर प्रचार के लिए समय आवंटित कर दिया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन व आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार के लिए करीब 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसमें भाजपा को 241 मिनट, कांग्रेस को 148 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट और बसपा को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

छह राष्ट्रीय दलों और दो राज्य स्तरीय दलों को हुआ समय का आवंटन

सपा को 53 मिनट और अपना दल (सोनेलाल) को मिलेंगे 27 मिनट

इसी तरह राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन व आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रचार-प्रसार के लिए कुल 15 घंटे आवंटित किया गया है। इसमें भाजपा को 362 मिनट, कांग्रेस को 222, सीपीआई (मार्क्सवादी) को 81, आम आदमी पार्टी को 71, नेशनल पीपुल पार्टी को 68 और बसपा को 96 मिनट समय आवंटित किया गया है।

राज्य स्तरीय पार्टियों में सपा को 53 मिनट और अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किए गए हैं। इन दोनों राज्य स्तरीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटेलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

ऐसे बयानों का नहीं होगा प्रसारण

- अन्य देशों की निंदा करने वाले बयान
- धर्मों या समुदायों पर हमला करने संबंधी
- अश्लील या अपमानजनक बात
- हिंसा भड़काने संबंधी बयान
- न्यायपालिका की अवमानना करने वाले बयान
- राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा संबंधी बयान
- देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले
- किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना की गई हो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

आकाशवाणी-दूरदर्शन पर प्रचार का समय तय

- गैर मान्यता प्राप्त दलों व निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं मिलेगा मौका

महासमर 2024 सभी चुनें सही चुनें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपना प्रचार-प्रसार दूरदर्शन व आकाशवाणी पर भी कर सकेंगे। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के केंद्रों पर प्रसारण का समय आवंटित कर दिया गया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार के लिए लगभग 10 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भाजपा को 241 मिनट, कांग्रेस को 148 मिनट, सीपीआइ (एम) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 45 मिनट व बसपा के लिए 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

दूरदर्शन व आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रचार-प्रसार के लिए इन दलों को कुल 15 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भाजपा को 362 मिनट, कांग्रेस को 222 मिनट, सीपीआइ (एम) को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 68 मिनट, बसपा को 96 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

इसी प्रकार राज्यस्तरीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किए गए हैं। इन दोनों दलों को दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर किसी भी राजनीतिक दल के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निंदा की गई हो। हिंसा भड़काने, न्यायपालिका की अवमानना, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा संबंधी बयान पर भी कड़ा अंकुश रखना होगा।

उप्र की राजनीति, सरकार और अपराध संबंधित अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ .... दिनांक 08 APR 2024

दूरदर्शन-आकाशवाणी पर दलों के लिए समय निर्धारित

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों को दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय दलों में भाजपा को 241 मिनट तथा कांग्रेस को 148 मिनट का समय दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट तथा बहुजन समाज पार्टी को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

इन बातों की मनाही

रिणवा ने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर राजनैतिक दलों के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निन्दा की गई हो। धर्मों या समुदायों पर हमला किया गया हो।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला, लखनऊ दिनांक 0 8 APR 2024

सुविधा पोर्टल पर चुनाव संबंधी अनुमति के लिए मिले 3273 अनुरोध

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से सुविधा पोर्टल पर राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलिकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण के लिए अनुमति के अनुरोध मिल रहे हैं। अब तक सुविधा पोर्टल पर 3273 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पारदर्शी तरीके से अनुरोधों को स्वीकृत किया जा रहा है। अब तक 2453 अनुरोधों को स्वीकृति दी गई है।

दलों और उम्मीदवारों को प्रचार व रैली आदि की अनुमति

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किए जाने के लिए सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। इसके माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार सहजता से किसी भी स्थान से, किसी भी समय ऑनलाइन अनुमति का अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन अनुरोध का विकल्प भी उपलब्ध हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० जन संदेश टाइम्स, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार-प्रसार करने का दूरदर्शन व आकाशवाणी पर प्रसारण समय आवंटित

6 राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के 2 राज्यीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा प्रदेश की विधानसभा उप निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 6 राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के 2 राज्यीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की लोकसभा निर्वाचन तथा विधानसभा उप चुनाव के लिए राष्ट्रीय दलों एवं राज्यीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार हेतु लगभग 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 241 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 148 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार हेतु कुल 15 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 362 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 222 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 68 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 96 मिनट समय आवंटित किया गया है।

इसी प्रकार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य राजधानी केन्द्र पर प्रचार-प्रसार के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किये गये हैं। साथ ही इन दोनों राज्यीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर किसी भी राजनैतिक दल के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निन्दा की गयी हो, धर्मों या समुदायों पर हमला किया गया हो, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक बात, हिंसा भड़काने संबंधी बयान, ऐसा बयान जिसमें न्यायपालिका की अवमानना हो, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दा संबंधी बयान, ऐसा बयान जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो या किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना की गयी हो।

डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट लखनऊ

उत्तर प्रदेश में कड़ाई से किया जा रहा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन

लोकसभा चुनाव के लिए 12,35,924 लोग पाबंद

लखनऊ (डीएनएन)। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। यूपी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने एक मार्च से अब तक कुल 128.42 करोड़ रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किए हैं, इसमें 2139.13 लाख रुपए नकद धनराशि, 3059.97 लाख रुपए कीमत की 955663.64 लीटर शराब, 4722.77 लाख रुपए कीमत की 7625774.11 ग्राम ड्रग, 1783.28 लाख रुपए कीमत की 52398.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं एवं 1137.23 लाख रुपए कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई।

आबकारी, आयकर, पुलिस व नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने कुल 1481.16 लाख रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नगदी आदि जब्त किया। इसमें 17.20 लाख रुपए नकद धनराशि,

- **128.42 करोड़ रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नकदी जब्त**
- **अपराधिक व्यक्तियों के 478 लाइसेंसी शस्त्र जब्त, 3916 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त**
- **4429 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 77 केंद्र सीज**

167.92 लाख रुपए कीमत की 103881.68 लीटर शराब, 290.94 लाख रुपए कीमत की 349405.81 ग्राम ड्रग, 5.09 लाख रुपए कीमत की 13235 ग्राम बहुमूल्य धातुएं एवं 10 करोड़ रुपए कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई। जब्ती में जनपद अमरोहा की अमरोहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत का 80000 लीटर मिथाइल एल्कोहल तथा जनपद गाजीपुर की जमनिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2.34 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत की 269 किलोग्राम ड्रग

पकड़ी गई। नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सघन जांच के लिए 513 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट तथा 1825 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 478 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए। 3916 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 19,54,003 लोगों को पाबंद किए जाने हेतु नोटिस प्रेषित किए गए है, जिसमें से 12,35,924 लोगों को पाबंद किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 4429 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद कर सीज किए गए। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 1392 केंद्रों पर रेड डाली गई और 77 केंद्रों को सीज किया गया। वहीं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में पुलिस विभाग द्वारा 6 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 76,564 लोगों को पाबंद किया जा चुका है। साथ ही 223 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 217 कारतूस व 15 बम बरामद कर सीज किए गए। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 149 केंद्रों पर रेड डाली गई और चार केंद्रों को सीज किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

चुनाव को लेकर अब तक 12.35 लाख लोग पाबन्द

4429 अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलो विस्फोटक व 242 बम बरामद कर किये सीज

लखनऊ (एसएनबी)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 1954003 लोगों को पाबन्द करने की नोटिस दी गयी है, जिसमें से 1235924 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। पुलिस विभाग द्वारा 4429 अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद कर सीज किये गये। उन्होंने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नारकोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अब तक कुल 128.42 करोड़ रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किये गये। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये कीमत का 80 हजार लीटर मिथाइल एल्कोहल तथा गाजीपुर की जमनिया विधानसभा क्षेत्र में 2.34 करोड़ रुपये कीमत की 269 किलोग्राम ड्रग पकड़ी गयी। अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 7426872 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 4489399 तथा निजी स्थानों से 2937473 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग दुरुपयोग के 1032 तथा लाउडस्पीकर एक्ट उल्लंघन के 1885 मामलों में कार्रवाई की गयी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

चुनाव सम्बन्धी अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल पर आये 3273 आवेदन : रिणवा

लखनऊ (एसएनबी)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से सुविधा पोर्टल पर राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों की ओर से बड़ी संख्या में रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर-टू-डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण की अनुमति के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुविधा पोर्टल पर 3273 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पोर्टल के माध्यम से अब तक 2453 अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि सुविधा पोर्टल पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति आवेदनों को निस्तारित करता है। सुविधा ऐप आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है और प्रक्रिया में और भी अधिक सुविधा और पारदर्शिता को जोड़ता है। यह ऐप आईओएस और एंड्रायड प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

अब तक 12.36 लाख लोग पाबंद

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही नियामक एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। 16 मार्च के बाद प्रदेश में आपराधिक बैकग्राउंड लोगों के 478 लाइसेंसी हथियार जब्त कराए गए हैं। 3916 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब तक 19.54 लाख लोगों को सीआरपीसी के तहत पाबंद किए जाने की नोटिस भेजी गई है। इसमें 12.36 लाख लोग पाबंद भी किए जा चुके हैं।

डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट लखनऊ

उत्तर प्रदेश में कड़ाई से किया जा रहा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन

लोकसभा चुनाव के लिए 12,35,924 लोग पाबंद

- 128.42 करोड़ रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नकदी जब्त
- अपराधिक व्यक्तियों के 478 लाइसेंसी शस्त्र जब्त, 3916 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त
- 4429 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 77 केंद्र सीज

लखनऊ (डीएनएन)। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। यूपी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने एक मार्च से अब तक कुल 128.42 करोड़ रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किए हैं, इसमें 2139.13 लाख रुपए नकद धनराशि, 3059.97 लाख रुपए कीमत की 955663.64 लीटर शराब, 4722.77 लाख रुपए कीमत की 7625774.11 ग्राम ड्रग, 1783.28 लाख रुपए कीमत की 52398.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं एवं 1137.23 लाख रुपए कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई।

आबकारी, आयकर, पुलिस व नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने कुल 1481.16 लाख रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नगदी आदि जब्त किया। इसमें 17.20 लाख रुपए नकद धनराशि, 167.92 लाख रुपए कीमत की 103881.68 लीटर शराब, 290.94 लाख रुपए कीमत की 349405.81 ग्राम ड्रग, 5.09 लाख रुपए कीमत की 13235 ग्राम बहुमूल्य धातुएं एवं 10 करोड़ रुपए कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई। जब्ती में जनपद अमरोहा की अमरोहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत का 80000 लीटर मिथाइल एल्कोहल तथा जनपद गाजीपुर की जमनिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2.34 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत की 269 किलोग्राम ड्रग

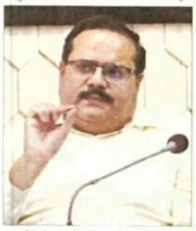

पकड़ी गई। नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सघन जांच के लिए 513 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट तथा 1825 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 478 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए। 3916 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 19,54,003 लोगों को पाबंद किए जाने हेतु नोटिस प्रेषित किए गए हैं, जिसमें से 12,35,924 लोगों को पाबंद किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 4429 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद कर सीज किए गए। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 1392 केंद्रों पर रेड डाली गई और 77 केंद्रों को सीज किया गया। वहीं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में पुलिस विभाग द्वारा 6 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 76,564 लोगों को पाबंद किया जा चुका है। साथ ही 223 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 217 कारतूस व 15 बम बरामद कर सीज किए गए। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 149 केंद्रों पर रेड डाली गई और चार केंद्रों को सीज किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 वॉयस ऑफ लखनऊ, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

सुविधा पोर्टल पर चुनाव संबंधी अनुमति के लिए मिले 3273 अनुरोध

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को एक समान अवसर प्रदान कर रहा सुविधा पोर्टल और एप : नवदीप रिणवा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से सुविधा पोर्टल पर राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों की ओर से बड़ी संख्या में रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्रार्प्त करने और पम्फलेट वितरण के लिए अनुमति के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में सुविधा पोर्टल पर 3273 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अनुरोधों का अध्ययन करने के बाद पारदर्शी तरीके से अनुरोधों को स्वीकृत किया जा रहा है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अब तक 2453 अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किए जाने हेतु सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के द्वारा अधिक से अधिक अनुरोध किया जा रहा है।

अनुमतियों और सुविधाओं के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों को समयबद्ध रूप से कार्रवाई कर प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। सुविधा पोर्टल रैलियों का आयोजन करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण आदि के लिए अनुमति प्रदान करता है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक पार्टियां और उम्मीदवार सहजता से किसी भी स्थान से, किसी भी समय ऑनलाइन अनुमति अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशिता और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध हैं। सुविधा एप आवेदकों को उनके अनुरोधों की स्थिति को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है और प्रक्रिया में और भी अधिक सुविधा और पारदर्शिता को जोड़ता है। यह एप आईओएस और एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

तीन हजार से ज्यादा अवैध लाइसेंस किए गए निरस्त

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च,को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1825 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 06 अप्रैल, तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 478 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3916 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 19,54,003 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिसमें से 12,35,924 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 4429 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 1392 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 77 केन्द्रों को सीज किया गया।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 06 अप्रैल को पुलिस विभाग द्वारा 06 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 76,564 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। साथ ही 223 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 217 कारतूस व 15 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 149 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 04 केन्द्रों को सीज किया गया।

प्रचार माध्यमों के उपयोग के लिए आयोग से दलो का आयोग से अनुरोध

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से सुविधा पोर्टल पर राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों की ओर से बड़ी संख्या में रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण के लिए अनुमति के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुविधा पोर्टल पर 3273 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अनुरोधों का अध्ययन करने के बाद पारदर्शी तरीके से अनुरोधों को स्वीकृत किया जा रहा है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अब तक 2453 अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किए जाने हेतु सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के द्वारा अधिक से अधिक अनुरोध किया जा रहा है। अनुमतियों और सुविधाओं के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों को समयबद्ध रूप से कार्रवाई कर प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। सुविधा पोर्टल रैलियों का आयोजन करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण आदि के लिए अनुमति प्रदान करता है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक पार्टियां और उम्मीदवार सहजता से किसी भी स्थान से, किसी भी समय ऑनलाइन अनुमति अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशिता और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार-प्रसार के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण का समय आवंटित

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा प्रदेश की विधानसभा उप निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के क्रम में 06 राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के 02 राज्यीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की लोकसभा निर्वाचन तथा विधानसभा उप चुनाव के लिए राष्ट्रीय दलों एवं राज्यीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार हेतु लगभग 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 241 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 148 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य राजधानी केन्द्र पर प्रचार-प्रसार के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किये गये हैं। साथ ही इन दोनों राज्यीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर किसी भी राजनैतिक दल के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निन्दा की गयी हो, धर्मों या समुदायों पर हमला किया गया हो, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक बात, हिंसा भड़काने संबंधी बयान, ऐसा बयान जिसमें न्यायपालिका की अवमानना हो, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दा संबंधी बयान, ऐसा बयान जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो या किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना की गयी हो।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किया जा रहा है कड़ाई से अनुपालन

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 4429 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 1392 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 77 केन्द्रों को सीज किया गया।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को एक समान अवसर प्रदान कर रहा सुविधा पोर्टल और एप: नवदीप रिणवा

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से सुविधा पोर्टल पर राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों की ओर से बड़ी संख्या में रैलियों, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण के लिए अनुमति के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुविधा पोर्टल पर 3273 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अनुरोधों का अध्ययन करने के बाद पारदर्शी तरीके से अनुरोधों को स्वीकृत किया जा रहा है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अब तक 2453 अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किए जाने हेतु सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के द्वारा अधिक से अधिक अनुरोध किया जा रहा है। अनुमतियों और सुविधाओं के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों को समयबद्ध रूप से कार्रवाई कर प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। इसके अतिरिक्त, समावेशिता और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध हैं। सुविधा एप आवेदकों को उनके अनुरोधों की स्थिति को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है और प्रक्रिया में और भी अधिक सुविधा और पारदर्शिता को जोड़ता है। यह एप आईओएस और एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्वतंत्र भारत, लखनऊ .... दिनांक 0 8 APR 2024

सुविधा पोर्टल पर मिले 3273 आवेदन : नवदीप

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सुविधा पोर्टल पर राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों की ओर से बड़ी संख्या में रैलियों, चुनाव कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण के लिए अनुमति मांगी जा रही हैं। यूपी में सुविधा पोर्टल पर 3273 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिसमें 2453 अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। इसको समयबद्ध कार्रवाई कर प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। सुविधा पोर्टल रैलियों का आयोजन करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण आदि की अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध हैं। सुविधा एप आवेदकों को उनके अनुरोधों की स्थिति को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है ।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 वॉयस [illegible] लखनऊ, लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

आपराधिक व्यक्तियों के 478 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1825 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 06 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 478 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3916 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 19,54,003 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिसमें से 12,35,924 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 4429 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 4684 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 242 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 1392 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 77 केन्द्रों को सीज किया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 06 अप्रैल को पुलिस विभाग द्वारा 06 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 76,564 लोगों को पाबन्द किया जा चुका हैं।

- 3916 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैं0 वॉयस ऑफ लखनऊ, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

128.42 करोड़ कीमत की शराब, ड्रग जब्त

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 06 अप्रैल, 2024 तक कुल 128.42 करोड़ रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किये गये, इसमें 2139.13 लाख रुपये नकद धनराशि, 3059.97 लाख रुपये कीमत की 955663.64 लीटर शराब, 4722.77 लाख रुपये कीमत की 7625774.11 ग्राम ड्रग, 1783.28 लाख रुपये कीमत की 52398.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं एवं 1137.23 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ......वॉयस ऑफ लखनऊ, लखनऊ...... दिनांक ......8 APR 2024......

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार-प्रसार के लिए समय आवंटित

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा प्रदेश की विधानसभा उपनिर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शों के क्रम में 06 राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के 02 राज्यीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण का टाइम एलॉट

यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की लोकसभा निर्वाचन तथा विधानसभा उप चुनाव के लिए राष्ट्रीय दलों एवं राज्यीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार हेतु लगभग 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 241 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 148 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार हेतु कुल 15 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 362 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 222 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 68 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 96 मिनट समय आवंटित किया गया है।

इसी प्रकार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य राजधानी केन्द्र पर प्रचार-प्रसार के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किये गये हैं। साथ ही इन दोनों राज्यीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर किसी भी राजनैतिक दल के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निन्दा की गयी हो, धर्मों या समुदायों पर हमला किया गया हो, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक बात, हिंसा भड़काने संबंधी बयान, ऐसा बयान जिसमें न्यायपालिका की अवमानना हो, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति निन्दा संबंधी बयान, ऐसा बयान जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो या किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना की गयी हो।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 वॉयस ऑफ लखनऊ, लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

74,26,872 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 74,26,872 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 44,89,399 तथा निजी स्थानों से 29,37,473 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 4,81,135, पोस्टर के 21,05,691, बैनर के 12,86,954 एवं अन्य 6,15,619 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 3,80,765, पोस्टर के 13,41,334, बैनर के 7,27,007 एवं अन्य 4,88,367 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1032 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 1885 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 36 एफआईआर दर्ज, 03 एनसीआर सहित कुल 39 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 08 APR 2024

टाइम स्लॉट: बीजेपी को 241, कांग्रेस को मिले 148 मिनट

- दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण का समय आवंटित
- गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को नहीं मिलेगी सुविधा

लखनऊ, 07 अप्रैल (तरुणमित्र)। भारतीय जनता पार्टी को 241 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 148 मिनट समय आवंटित किया गया है। रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा प्रदेश की विधानसभा उप निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया गया है।

6 राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के 2 राज्य स्तरीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है।

यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी। कहा कि राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार के लिए लगभग 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

इसमें कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार के लिये कुल 15 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें भाजपा को 362 मिनट, कांग्रेस को 222 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 68 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 96 मिनट समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य राजधानी केन्द्र पर प्रचार-प्रसार के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किये गये हैं।

14 करोड़ से अधिक के शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व कैश जब्त

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 06 अप्रैल, 2024 तक कुल 128.42 करोड़ रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं, मुफ्त उपहार व नगदी आदि जब्त किये गये, इसमें 2139.13 लाख रुपये नकद धनराशि, 3059.97 लाख रुपये कीमत की 955663.64 लीटर शराब, 4722.77 लाख रुपये कीमत की 7625774.11 ग्राम ड्रग, 1783.28 लाख रुपये कीमत की 52398.86 ग्राम बहुमूल्य धातुएं एवं 1137.23 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्पष्ट आवाज, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

दलों के लिए दूरदर्शन व आकाशवाणी पर समय आवंटित

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा प्रदेश की विधानसभा उप निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों पर प्रसारण समय आवंटित किया गया है। 06 राष्ट्रीय दलों तथा उत्तर प्रदेश के 02 राज्य स्तरीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार-प्रसार के लिए समय की न्यायसंगत हिस्सेदारी का आवंटन किया गया है। यह सुविधा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों या किसी स्वतंत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की लोकसभा निर्वाचन तथा विधानसभा उप चुनाव के लिए राष्ट्रीय दलों एवं राज्य स्तरीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रचार-प्रसार हेतु लगभग 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 241 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 148 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 54 मिनट, आम आदमी पार्टी को 47 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 64 मिनट का समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार हेतु कुल 15 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 362 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 222 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को 81 मिनट, आम आदमी पार्टी को 71 मिनट, नेशनल पीपुल पार्टी को 68 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 96 मिनट समय आवंटित किया गया है। इसी प्रकार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य राजधानी केन्द्र पर प्रचार-प्रसार के लिए राज्य स्तरीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी को 53 मिनट तथा अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट आवंटित किये गये हैं। साथ ही इन दोनों राज्यीय दलों को पूरे देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेटलाइट सेवा चैनल और आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुकअप पर 10-10 मिनट का समय आवंटित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूरदर्शन व आकाशवाणी पर किसी भी राजनैतिक दल के ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निन्दा की गयी हो, धर्मों या समुदायों पर हमला किया गया हो, कुछ भी अश्लील या अपमानजनक बात, हिंसा भड़काने संबंधी बयान, ऐसा बयान जिसमें न्यायपालिका की अवमानना हो, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठ के प्रति निन्दा संबंधी बयान, ऐसा बयान जो देश की एकता, सम्प्रभुता और अखण्डता को प्रभावित करता हो या किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना की गयी हो।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ .... दिनांक 8 APR 2024

प्रत्याशियों की जिम्मेदारी

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की है कि वे प्रचार के दौरान हर हाल में आदर्श आचार संहिता का पालन करें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। प्रदेश में अभी भी मतदाताओं को नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट (लाल-नीली बत्ती), फ्लैग के दुरुपयोग, प्रचार सामग्री के अनुचित प्रयोग आदि के मामले सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे प्रकरणों में 36 एफआइआर तो दर्ज की ही हैं, सार्वजनिक व निजी स्थानों पर लगी 74 लाख से अधिक प्रचार सामग्री को हटाया गया है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जोश और उत्साह में और कभी-कभी जानबूझकर लोगों के मकान और सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर पोस्टर-बैनर लगा देते हैं या पैम्फलेट चिपका देते हैं। यह समझना होगा कि किसी प्रत्याशी का कोई समर्थक किसी सार्वजनिक या निजी स्थान का प्रयोग अपने प्रचार के लिए करता है तो मतदाताओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसा कृत्य आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में तो आता ही है, चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी भी बढ़ा देता है।

किसी प्रत्याशी का कोई समर्थक किसी सार्वजनिक या निजी स्थान का प्रयोग अपने प्रचार के लिए करता है तो मतदाताओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

आचार संहिता का हर हाल में पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार कई कदम उठाए हैं जिनमें एक 'सुविधा' पोर्टल भी है। इस पोर्टल पर राजनीतिक दल रैली करने, पार्टी कार्यालय खोलने, डोर-टू डोर प्रचार करने, वाहन परमिट आदि के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह कि इससे सभी राजनीतिक दलों को पारदर्शी तरीके से समान अवसर हासिल होता है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को इसका लाभ भी मिल रहा है और इस पोर्टल पर 3,273 अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। जब सुविधा उपलब्ध है तो कोई कारण नहीं कि बिना अनुमति कहीं सभा की जाए। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, विशेष तौर से बिना अनुमति के लाउडस्पीकरों के प्रयोग से। इस पर प्रत्याशियों को अपने स्तर पर नियंत्रण करना चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, और प्रलोभन से मुक्त चुनाव ही लोकतंत्र को मजबूती दे सकता है, इसलिए सभी दलों व प्रत्याशियों की जिम्मेदारी है कि वह आयोग का सहयोग करें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

मतदान में शहरी मतदाता पीछे, कई क्षेत्रों में घटी महिलाओं की भागीदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम पाया गया। आम चुनाव में देश भर में 67.40 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि यूपी में यह आंकड़ा 59.21 प्रतिशत तक ही सीमित रह गया।

- 2019 के चुनाव में प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत कम रहने की चार बड़ी वजह आई सामने
- आयोग ने की विधान सभावार पड़ताल, वोटरों की उदासीनता और माइग्रेशन बना बड़ा कारण

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मतदान का प्रतिशत न बढ़ने पर भारत निर्वाचन आयोग चिंता जाहिर की है। दो दिन पहले आयोग की नई दिल्ली में हुई बैठक का मुख्य मुद्दा यही रहा। पिछले चुनावों में कम मतदान के कारणों की पड़ताल से उपजे निष्कर्ष के आधार पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने चौतरफा प्रयास शुरू किए हैं और तकरीबन सभी सरकारी महकमों की जवाबदेही तय की है।

उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग का मुख्य कारण मतदाताओं की उदासीनता, माइग्रेशन, शहरी क्षेत्र में वोटरों का घर से बाहर न निकलना और कई क्षेत्रों में महिलाओं की अपेक्षा से कम भागीदारी बना। निर्वाचन आयोग के स्तर से पिछले चुनाव में कम वोटिंग के ट्रेंड की पड़ताल के दौरान यह तथ्य सामने आएं हैं। आयोग ने करीब सात प्रतिशत के इस अंतर को पाटने के लिए टर्नओवर इंप्लीमेंटेशन प्लान के तहत मुहिम शुरू की है। निर्वाचन आयोग ने बीते लोकसभा चुनाव का वोटिंग ट्रेंड जानने के लिए विधानसभावार आकलन किया गया। जिसमें पाया गया कि 144 विधानसभा क्षेत्रों में माइग्रेशन (पिछले स्थान से किसी नए स्थल पर स्थानांतरण) कम वोटिंग का बड़ा कारण रहा। 143 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता सामने आई। 39 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी मतदाताओं घर से बाहर कम निकले और 30 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के सापेक्ष पांच प्रतिशत या उससे ज्यादा कम रहा। लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 11 प्रतिशत का अंतर पाया गया। वाराणसी दक्षिण में यह करीब दस प्रतिशत तक रहा। दर्जन भर से अधिक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पचास प्रतिशत से भी कम वोटिंग हुई। इनमें इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बलरामपुर, उतरौला, ओबरा, बैरिया, आर्यनगर, तुलसीपुर, इटवा, कानपुर कैंट, साहिबाबाद, डुमरियागंज, गैसड़ी शामिल हैं।

इन विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से 5% कम रहा

धौरहरा, वाराणसी दक्षिण, मोहनलालगंज, आगरा दक्षिण, मेरठ, वाराणसी उत्तर, आर्यनगर, बाराबंकी, हरगांव, कस्ता, मुरादाबाद नगर, सीसामऊ, श्रीनगर, अलीगढ़, करहल, आगरा ग्रामीण, बिठूर, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण, जयपुर, फिरोजाबाद, लखीमपुर, आगरा कैंट, तुलसीपुर, बिल्हौर, मुरादाबाद ग्रामीण, लहरपुर, जसवंत नगर, वाराणसी कैंट, अकबरपुर रनिया।

इन 39 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी मतदाता दिखे उदासीन

सहारनपुर नगर, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, लोनी, मुरादनगर, नोएडा, दादरी, कोइल, हाथरस, मथुरा, आगरा उत्तर, बरेली, बरेली कैंट, पीलीभीत, कटरा, साहिबाबाद, कानपुर कैंट, शाहजहांपुर, सीतापुर, सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, फर्रुखाबाद, कल्याणपुर, गोविंदनगर, किदवईनगर, महाराजपुर, झांसी नगर, गोंडा, गोरखपुर शहर, जौनपुर, मीरजापुर, इलाहाबाद उत्तर।

मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने की ये पहल

- आवास विकास विभाग के सहयोग से रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर मतदाताओं के बीच चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। 217 अपार्टमेंट व सोसाइटी में बनाए गए हैं पोलिंग बूथ।
- हर गांव व आंगनबाड़ी केंद्रों मे महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के किए जा रहे प्रयास।
- गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंप और राशन की दुकानों के माध्यम से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक।
- रेलवे स्टेशन, एवं एयरपोर्ट पर एनाउंसमेंट एवं स्क्रीन पर वीडियो मैसेज किए जा रहे प्रसारित।
- स्कूली बच्चों के जरिये अभिभावकों से भरवाए जा रहे हैं संकल्प पत्र।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
समाचार पत्र का नाम दै० आईनेक्स्ट, लखनऊ दिनांक 08 APR 2024

मलिहाबाद में 65 प्रतिशत तो लखनऊ उत्तर में हुआ था 55.42 प्रतिशत मतदान

वोटिंग प्रतिशत में मलिहाबाद ने पिछली बार मारी थी बाजी

वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में ज्यादातर विधानसभाओं खासकर शहर में 60 फीसद से कम रहा था मतदान

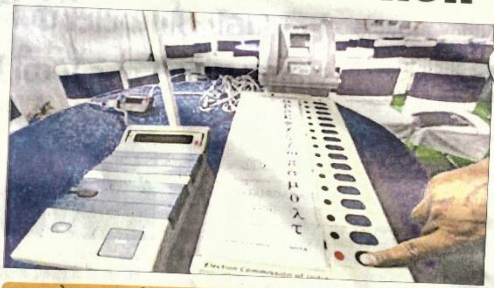

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (7 April): 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लखनऊ सीट के मुकाबले मोहनलालगंज में वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा था. दोनों सीटों की विधानसभाओं की बात की जाए तो लखनऊ सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में वोटिंग प्रतिशत कम रहा था. इस बार दोनों ही सीटों पर शत प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं.

यहां वोटर्स ने दिखाया दम

मलिहाबाद विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां वोटर्स ने ज्यादा दम दिखाया था. यहां वोटिंग प्रतिशत 65 प्रतिशत के आसपास रहा था. वहीं सरोजनीनगर विधानसभा में वोटर्स कुछ बैकफुट पर नजर आए थे और यहां का वोटिंग प्रतिशत 55.49 प्रतिशत रहा था. इसी तरह मोहनलालगंज में भी वोटर्स का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था. यहां वोटिंग प्रतिशत 63.77 प्रतिशत रहा था. इसी तरह बीकेटी में भी 63 प्रतिशत के आसपास वोटिंग प्रतिशत रहा था.

60 फीसदी नहीं पहुंचा

अब अगर लखनऊ सीट के अंतर्गत आने वाली पांच विधानसभाओं की बात करें तो कहीं भी वोटिंग प्रतिशत 60 प्रतिशत नहीं पहुंचा था. सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट में 55.42 प्रतिशत हुई थी. दूसरे नंबर पर वोटिंग प्रतिशत लखनऊ पूर्व की सीट थी. यहां वोटिंग प्रतिशत 55.7 के करीब था. सबसे कम वोटिंग प्रतिशत कैंट सीट पर 50.77 हुई थी.

वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का निर्धारित किया गया लक्ष्य

इस बार दोनों ही लोकसभा सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए दोनों ही सीटों पर वोटर्स को जागरुक करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है. स्कूल कालेजों से लेकर सभी क्षेत्रों में वोटर्स जागरुकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से खुद वोटर्स जागरुकता प्रोग्राम की निगरानी की जा रही है. अलग-अलग विधानसभाओं के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो वोटर्स जागरुकता अभियान का संचालन कर रही हैं. वहीं, विभिन्न सामाजिक संगठन भी इस दिशा में टीमों के साथ लगे हैं.

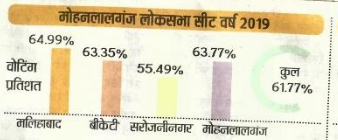

नाम हटवा लें

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दो बार है तो इसकी जानकारी तुरंत बीएलओ को दे या वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदन करते हुए अपना नाम हटवा दें. अगर ऐसा नही करते हैं तो आपके नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं तो आपको विधिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है.

अभी 16 अप्रैल तक का समय

अगर आप वोटर हैं या आपका नाम वोटर लिस्ट में नही है तो आप वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से दोनों ही बिंदुओं पर आवेदन कर सकते हैं. बस इतना ध्यान रखना होगा कि आप वोटर लिस्ट से अपना या फैमिली के किसी अन्य मेंबर का नाम हटवा नही सकते हैं. वही दूसरी तरफ वोटर हेल्पलाइन या 1950 पर आने वाली हर एक कॉल की चुनाव सेल की ओर से मानीटरिंग की जा रही है. जिससे हर एक शिकायत का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा सके. वही बीएलओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई वोटर उन्हें फोन करें तो प्रॉपर रिस्पांस दें.

वोटर पर्ची सभी को मिले

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि सभी वोटर्स को समय से वोटर पर्ची मिले. अगर किसी वोटर को वोटर पर्ची नही मिलती है तो संबंधित बीएलओ से सवाल जवाब किए जाएंगे. जो समयावधि तय की गई है, उसके अंतर्गत ही वोटर पर्ची वोटर के पास पहुंच जानी चाहिए.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ 8 APR 2024

समाचार पत्र का नाम दै0 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक

पहचान का पुख्ता प्रमाण बना वोटर आईडी कार्ड

■ रवीन्द्र प्रताप सिंह

लखनऊ। एसएनबी

देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के समय पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष सबसे बड़ी समस्या मतदाताओं के पहचान की आ रही थी। हालांकि मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान केन्द्रों पर प्रत्याशियों के अभिकर्ता भी तैनात किये जाते थे। बावजूद इसके भी फर्जी मतदान को लेकर गुटों में टकराव हो जाता था। फर्जी मतदान की घटनाएं कभी-कभी ऐसा रूप ले लेती थीं कि समर्थकों के बीच मारपीट व गोलीबारी के चलते कई जानें भी चली जाती थीं। चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को भी मतदाता की पहचान के लिए इन्हीं अभिकर्ताओं के ही सहारे रहना पड़ता था। इन समस्याओं के दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं की पहचान का एक ऐसा तरीका ढूंढ़ा गया जो न सिर्फ मतदान के समय उपयोग में आने लगा, बल्कि वह सरकारी कामकाज से लेकर व्यक्तिगत जिन्दगी के अन्य कामकाजों में भी व्यक्ति की पहचान में सबसे उपयोगी साबित हुआ।

■ 1996 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाता पहचान पत्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया

■ वोटर आईडी कार्ड से फर्जी मतदान पर व हिंसा पर लगी लगाम

आयोग की ओर से जारी इस 'फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र' को लाने की पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त आरके त्रिवेदी के कार्यकाल में शुरू हो गयी थी, लेकिन इसको असली जामा पहनाया सबसे तेजतर्रार माने जाने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन ने।

आजादी के बाद वर्ष 1951 से शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया में लगातार कई सुधार होते रहे। इसमें चुनाव में फर्जी मतदान रोककर निष्पक्ष चुनाव कराना हर बार की प्राथमिकता में शामिल होता रहा, लेकिन चुनाव के समय या चुनाव बीतने के बाद फर्जी मतदान की सैकड़ों शिकायतें आती थी और निर्वाचन आयोग तक पर प्रश्नचिह्न लग जाता था। इसके साथ ही फर्जी मतदान को लेकर दो प्रत्याशियों के गुटों में जबरदस्त मारपीट व गोलीबारी भी हो जाती थी। इसके चलते अन्तिम चरण के चुनाव तक दर्जनों लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। यह स्थिति निर्वाचन आयोग की गरिमा पर कहीं न कहीं प्रश्नचिह्न लगाती थी। अपनी इस छवि को सुधारने व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या मतदाताओं के पहचान की आ रही थी। इसके लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वह कैसे मतदाताओं की पुख्ता पहचान करा लें। हालांकि आयोग वर्ष 1957 के लोकसभा चुनाव से मतदाताओं की पहचान के लिए सम्बन्धित प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं की तैनाती करने लगा था, लेकिन यह अभिकर्ता भी कभी-कभी अन्दर ही अन्दर दूसरे प्रत्याशी से मिलकर फर्जी मतदान कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। इसके चलते अधिकृत मतदाताओं के पहुंचने से पहले ही उनके नाम का वोट पड़ जाता था और जब अधिकृत मतदाता अपने मताधिकार के लिए पहुंचता था तो वोट पड़ जाने की बात पर वहां मारपीट की स्थिति बन जाती थी।

समय के साथ बदलती चुनाव प्रक्रिया- भाग चार

इस तरह की शिकायतें निर्वाचन आयोग के समक्ष भी व्यापक रूप से आने लगीं। शिकायतों के साथ ही निर्वाचन आयोग भी इसका हल तलाशने में तेजी से जुटा था लेकिन इसमें सफलता वर्ष 1982 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने आरके त्रिवेदी को मिली। श्री त्रिवेदी ने 18 जून 1982 को कार्यभार संभाला और कार्यकाल के दौरान उन्होंने तय किया कि मतदाताओं को पहचान का कोई ऐसा प्रमाण दिया जाए जिससे मतदान कराने वाले कर्मचारी बिना अभिकर्ताओं की मदद के ही मतदाताओं की पहचान आसानी से पहचान कर लें। इसी के बाद उन्होंने प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त पहचान पत्र दिलाने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन इतनी संख्या में मतदाताओं को पहचान पत्र दिलाना आसान नहीं था। ऐसे में प्रस्ताव को वह तेजी नहीं मिल सकी, जिसकी समय के साथ जरूरत थी। इसके बाद 26 फरवरी 1985 को श्री त्रिवेदी इस पद से हट गये और बाद के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर 26 नवम्बर 1990 को जब टीएन शेषन ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने श्री त्रिवेदी के इस प्रस्ताव पर विशेष गौर किया। अपनी दृढ़ कार्यशैली के कारण पहचाने जाने वाले श्री शेषन ने एक कार्यक्रम तैयार कर देश के सभी राज्यों में एक साथ पहचान पत्र जारी करने का कार्य वर्ष 1993 में शुरू करा दिया। उनके आदेश के बाद से अगस्त 1993 से पहचान पत्र बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया और वर्ष 1995 में अभियान चलाकर पहचान पत्र बनाने का काम शुरू भी हो गया।

फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर शिविरों का आयोजन किया गया और ब्लैक एण्ड व्हाइट कैमरे से मतदाताओं की फोटो खींचकर पहचान पत्र बनाये जाने लगे। यह मतदाता पहचान पत्र पहली जनवरी 1995 को आधार मानकर बनाये गये जिसमें मतदाताओं के नाम, पता व फोटो के साथ उम्र भी दर्ज की गयी। वर्ष 1996 के होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाता पहचान पत्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया। श्री शेषन ने ही 1996 के चुनावों से ही बिना पहचान के वोट न डालने देने का निर्णय लिया, जिसका अमल अब तक किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य विकल्प भी दिये। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2000 में भी मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए शिविरों का आयोजन किया, जिसमें वीडियो कैमरों के माध्यम से फोटो खींची गयी। आयोग ने इसमें फिर से परिवर्तन किया और मतदाताओं से ही आवेदन पत्र (फार्म-6) लेने के साथ ही रंगीन फोटो लेने लगे।

इस बीच तक मतदाता पहचान पत्र को इतनी ख्याति मिली कि सरकारी कार्यालयों से लेकर बैंकों व निजी संस्थाओं तक पहचान के रूप में इसकी मान्यता हो गयी। रेलवे व हवाई यात्राओं से लेकर होटलों में ठहरने तक मतदाता पहचान पत्र को ही प्रमाण के रूप में मांगा जाने लगा। ऐसे में मतदाताओं की उत्सुकता इसके प्रति बढ़ी और मतदाताओं ने स्वयं तेजी से पहचान पत्र बनवाना शुरू कर दिया।

उधर निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 से मतदाता पहचान पत्र में मतदाताओं की जन्मतिथि भी दर्ज करानी शुरू कर दी। इसके साथ ही इसके बढ़ते महत्व को समझते हुए वर्ष 2014 के मतदाता पुनरीक्षण अभियान में इसे प्लास्टिक कार्ड पर जारी करना शुरू कर दिया गया और 25 जनवरी 2014 को हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इन्हें जारी किया गया, तभी से यह पहचान पत्र जारी किये जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग अभी भी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा मतदाताओं को पहचान के लिए कुछ अन्य विकल्प देता है ताकि मतदान प्रभावित न हो और सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र भारत, लखनऊ .... दिनांक 08 APR 2024

भाजपा को 241 तो कांग्रेस को मिले 148 मिनट

स्वतंत्र भारत ब्यूरो, लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समय आवंटित किया है। अन दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर लगभग 10 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भाजपा को 241 मिनट, कांग्रेस को 148 मिनट, माकपा को 54 मिनट, आप को 47 मिनट, एनपीपी को 45 मिनट और बसपा को 64 मिनट का समय मिलेगा। इसी तरह इनको दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों पर कुल 15 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भाजपा को 362 मिनट, कांग्रेस को 222 मिनट, माकपा को 81 मिनट, आप को 71 मिनट, एनपीपी को 68 मिनट और बसपा को 96 मिनट का समय मिलेगा। समाजवादी पार्टी को 53 मिनट और अपना दल (सोनेलाल) को 27 मिनट का समय दिया गया। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर ऐसे बयानों को प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, जिसमें अन्य देशों की निंदा की गई हो, धर्मो या समुदायों पर हमला किया गया हो, ऐसा बयान जिसमें न्यायपालिका की अवमानना हो।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै0 आज, लखनऊ........ दिनांक 08 APR 2024

लखनऊ व मोहनलालगंज 70 प्रतिशत मतदान कराने का नगर निगम ने बनाया लक्ष्य

लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने लखनऊ व मोहनलालगंज लोकसभा चुनाव में इस बार 70 प्रतिशत मतदान कराने का लक्ष्य तय किया है। आयोग के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है। लखनऊ में 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.30 और वर्ष 2014 के चुनाव में 57.59 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार भीषण गर्मी में चुनाव होना है। ऐसे में आयोग ने अभी से ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि लखनऊ में न्यूनतम 70 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लखनऊ के मतदाताओं को जागरुक किए जाने के लिए नगर निगम की ओर से विभिन्न गतिविधियां मतदान की तिथि तक की जाएंगी। इनमें चुनाव पाठशाला का आयोजन, स्थानीय सम्पर्क, फोरम एवं जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीते सप्ताह शनिवार को जोन के अंतर्गत विभिन्न मोहल्लों में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। जिनमें विभिन्न अधिकारियों की ओर से स्थलीय नागरिकों से सम्पर्क कर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरुक किया गया। मतदाताओं को बूथ की जानकारी दी गयी तथा मतदान की अपील करते हुए मतदान किए जाने के लिए शपथ दिलायी गयी। इस क्रम में कालीचरण इंटर कालेज में आयोजित किए गए मतदाता जागरुकता कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय की ओर से विद्यालय के प्राचार्य ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालय सेन्ट्रल एकेडमी, जनता इंटर कालेज, कालीचरन इंटर कालेज, स्प्रिंग डेल कालेज, सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज , राजकीय बालिका इंटर कालेज, अग्रवाल विद्यालय, चंदरनगर इण्टर कालेज इत्यादि में मतदान के लिए शपथ दिलायी गयी तथा जनजागरुकता के लिए छात्र-छात्राओं की ओर से क्षेत्र में फेरी का आयोजन किया गया।

प्रत्येक रविवार को लगेगी पाठशाला

लखनऊ लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगर आयुक्त ने रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने इस रिपोर्ट का प्रजेंटेंशन किया। जिस पर सीईओ ने सहमति दे दी है। नगर निगम ने वर्ष 2014 तथा 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान कम होने की वजहों पर अध्ययन कराया गया। इसमें कम मतदान की कई वजह सामने आई हैं। इन कमियों को दूर कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस सम्बंध में नगर निगम की ओर से 19 बिंदुओं की कार्ययोजना तैयार की गई है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सभी 110 वार्डों में प्रत्येक रविवार को कम वोटिंग वाले मोहल्लों में बीएलओ के साथ चुनावी पाठशाला कार्यक्रम आयोजित होगी। इसके लिए जोनवार नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। सभी रेजीडेंट वेलफेयर एसोएिशन के साथ एक-एक राजस्व निरीक्षक कम वोटिंग होने के कारणों पर चर्चा करेंगे और उनके सुझावों पर अमल करेंगे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...... दै० जन संदेश टाइम्स, लखनऊ ...... दिनांक ...... 8 APR 2024

26 अप्रैल तक बीएलओं वोटर बनाने के लिए भरवाएं फार्म 6 :अपर आयुक्त अयोध्या

जन संदेश टाइम जिला संवाददाता सुलतानपुर / लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या अजय कान्त सैनी द्वारा मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं/तैयारियों के दृष्टिगत विधान सभावार निरीक्षण किया गया। उन्होंने 189 सदर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल, कूरेभार, प्रा0वि0 कूरेभार, प्रा0 पाठशाला सिद्धि गणेश, 190-लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रा0वि0 जादीपुर, प्रा0वि0 सरायअचल, वि0क्षे0 भदैयाँ व 188-सुलतानपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत इंग्लिश मीडियम प्रा0वि0 कटका खानपुर, केश कुमारी राजकीय बालिका इण्टर कालेज मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ला, एसडीएम जयसिंहपुर, एसडीएम लम्भुआ दीपक वर्मा, एसडीएम सदर टी0 प्रसाद, सम्बन्धित क्षेत्र के बी.एल.ओ. आदि उपस्थित रहे।

अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या द्वारा निरीक्षण के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर मूलभूत आवश्यकताओं (पेयजल, दिव्यांगों हेतु रैम्प, शौंचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर आदि) का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक के अनुरूप अब तक की गयी तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी व सम्बन्धित एआरओ के साथ सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने जैसे- विद्युत, स्वच्छ पेयजल, रैम्प, पेन्टिंग, टेन्ट, शौंचालय (महिला, पुरूष) वैरीकेटिंग, बूथों की संख्या का अंकन, मॉडल बूथ, दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैम्प, मेज, कुर्सी, मच्छरदानी/मॉसकीटो क्वाइल, स्वीप योजनान्तर्गत मतदान प्रतिशत बढाये जाने हेत व्यापक प्रचार-प्रसार आदि

जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी।

उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान करने योग्य युवाओं को 26 अप्रैल, 2024 तक फार्म-6 जरूर भरवायें, जिससे मतदान प्रतिशत को बेहतर किया जा सके। उन्होंने मतदान केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित को दिये। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाय। उन्होंने सभी केन्द्रों पर निर्वाचक नामावलियों की जॉच की तथा मतदाता जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर, लखनऊ दिनांक: 8 APR 2024

मतगणना व उससे पूर्व ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर देखी गई व्यवस्थाएं

हरदोई। मतगणना व उससे पूर्व ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर देखी गई व्यवस्थाए नगर के नवीन मंडी स्थल में मतदान के बाद होने वाली मतगणना व उससे पूर्व ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने को लेकर दिए गए निर्देशों के तहत मातहतों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए है। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने मंडी परिसर का भ्रमण रविवार को किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में प्रशासनिक व सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीएम मंगला प्रसाद सिंह एवं एसपी केशव चन्द्र गोस्वामी के नेतृत्व में जनपद के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने मंडी परिसर का भ्रमण किया। समस्त प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को चुनाव के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी डीएम ने दी। मंडी सचिव को निर्देशित किया कि सड़कों की मरम्मत का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाये। निरीक्षण में सीडीओ सौम्या गुरुरानी, एडीएम प्रियंका सिंह व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० दैनिक भास्कर, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न

भास्कर ब्यूरो

चन्दौली। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/ उपजिला 'निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में रविवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के साथ बैठक संपन्न हुआ। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024की घोषणा कर दी गयी है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभारी हो गयी है। बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी बिना अनुमति के कोई भी वाहन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग में न लाये एवं प्रचार-प्रसार के दौरान जो भी नुक्कड़ सभाये, रोड शो, रैली इत्यादि का आयोजित किया जाये उसकी 48घण्टे पूर्व आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सुविधा एप पर आवेदन करके प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलों से यह भी अपेक्षा की गयी कि यदि आप द्वारा यदि पार्टी के कार्यालय आदि खोला जाये तो उसकी भी अनुमति हेतु 48घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त करें। ऐसा न करने पर संज्ञान में आने पर उनके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सभी राजनैतिक दलों को सुविधा एप पर रजिस्टर करने तथा अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का प्रशिक्षण भी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कार्यालय के इंजीनियर ओम प्रकाश द्वारा किया गया एवं उनकी पृच्छाओं का निवारण भी किया गया। बैठक में सभी प्रतिनिधियों से अपील की गयी कि कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी किसी व्यक्ति की राजनैतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के विरूद्ध विरोध जताने के लिए व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन, धरने का सहारा न लें। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा, बैनर लगाने अथवा सूचना चिपकाने या नारा इत्यादि न लिखवायें। किसी राजनीतिक दल द्वारा उन स्थानों के आस-पास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हो। उक्त के अतिरिक्त कोई भी दल अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर न हटाये, किसी सभा स्थल के बारे में पहले से सूचित करें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० आज, लखनऊ दिनांक 0 8 APR 2024

26 अप्रैल तक बीएलओ वोटर बनाने के लिए भरवाएं फार्म 6 अपर आयुक्त अयोध्या

सुलतानपुर । लोकसभा सामान्य निर्वाचन.2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या अजय कान्त सैनी द्वारा मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं/तैयारियों के दृष्टिगत विधान सभावार निरीक्षण किया गया। उन्होंने 189 सदर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल, कूरेभार, प्रा.वि. कूरेभार, प्रा. पाठशाला सिद्धि गणेश, 190.लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रा.वि. जादीपुर, प्रा.वि. सरायअचल वि.क्षे. भदैयाॅ व 188. सुलतानपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत इंग्लिश मीडियम प्रा.वि. कटका खानपुर केश कुमारी राजकीय बालिका इण्टर कालेज मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ला एसडीएम जयसिंहपुर एसडीएम लम्भुआ दीपक वर्मा एसडीएम सदर टी. प्रसाद सम्बन्धित क्षेत्र के बीएलओ आदि उपस्थित रहे।अपर आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या द्वारा निरीक्षण के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर मूलभूत आवश्यकताओं पेयजल दिव्यांगों हेतु रैम्प शौंचालय प्रकाश व्यवस्थाए फर्नीचर आदि का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक के अनुरूप अब तक की गयी तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशा उप जिला निर्वाचन अधिकारी व सम्बन्धित एआरओ के साथ सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने जैसे. विद्युत स्वच्छ पेयजल रैम्प पेन्टिंग टेन्ट शौंचालय महिलाए पुरूष वैरीकेटिंग बूथों की संख्या का अंकन मॉडल बूथ दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैम्प मेज कुर्सी मच्छरदानी मॉसकीटो क्वाइल स्वीप योजनान्तर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु व्यापक प्रचार.प्रसार आदि जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। सभी बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान करने योग्य युवाओं को 26 अप्रैल 2024 तक फार्म.6 जरूर भरवायें, जिससे मतदान प्रतिशत को बेहतर किया ।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० आज, लखनऊ दिनांक 0 8 APR 2024

मीडिया सेल व सोशल मीडिया के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण

अम्बेडकरनगर । जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर मीडिया सेल सोशल मीडिया सेल के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण किया गया। जिला सूचना अधिकारी द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणन के दायरे में आते हैं। नामांकन भरते समय उम्मीदवारों को फार्म 26 में अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। खर्च का विवरण वरिष्ठ कोषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इंटरनेट आधारित मीडियाध् सोशल मीडिया वेबसाइटों पर राजनीतिक विज्ञापनों को जारी करने से पहले पूर्व प्रमाणित करना आवश्यक है। ई-पेपर भी इसी श्रेणी में आता है। यह सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किए गए सभी राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित हो। इसी प्रकार फेक न्यूज व पेड न्यूज पर भी नजर रखी जा रही है। एमसीएमसी का कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित हैं। माध्यम से मीडिया और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा उसके खिलाफकड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 आज, लखनऊ दिनांक 08 APR 2024

सी विजिल ऐप से करें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

गोण्डा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन.2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय सम्बन्धी उपबन्धों के उल्लंघनों की शिकायत दर्ज करने के लिए सी विजिल एप विकसित किया गया है। सी विजिल ऐप का अर्थ है जागरूक नागरिक और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है। सी विजिल ऐप एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे संचालित करना आसान हैं जिसका उपयोग वर्तमान संसदीय निर्वाचन की घोषणा की तारीख से उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। इस ऐप की विशेषता यह है कि यह केवल लाइव फेटोध्वीडियों और ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि निगरानी टीम को समयबद्ध तरीकेसे कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके। इस ऐप को ऐसे किसी भी स्मार्ट फेन में इंस्टॉल किया जा सकता है जिसमें कैमरा, इण्टरनेट कनेक्शन और जीपीएस एक्सेस हो। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं को देखते ही तत्काल इसकी रिपोर्ट कर सकते हैए और इसके लिए उन्हे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। यह ऐप निगरानी दलों के साथ जुड़ा है जिससे एक तीव्र और सटीक रिपोर्टिंग कार्यवाही और निगरानी प्रणाली का निर्माण होता है। शिकायत दर्ज करने से पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधि की केवल एक तस्वीर या दो मिनट का वीडियों और संक्षिप्त में इसका वर्णन कर दें। शिकायत के साथ कैप्चर की गयी जानकारी स्वत: ही जिला नियंत्रण कक्ष में चली जाती है जिससे निगरानी दल को कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर भेज दिया जाता है। सी विजिल ऐप के माध्यम से दर्ज की गयी शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में किया जाता है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

लोकसभा चुनाव 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाये गये डीपफेक की पहचान के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन

श्रावस्ती। भारतीय सामान्य चुनाव 2024 में जालसाजी और गलत सूचनाओं के प्रसार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की पहल पर दो दिवसीय वर्कशप का आयोजन कार्यालय पुलिस अधीक्षक के सभागार में किया गया। जिसका शुभारम्भ मा0 जनपद न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह द्वारा शुभारम्भ किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन आज शनिवार को जिलाधिकारी तिका शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा द्वीप प्रज्जलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के द्वारा तैयार की गई है। जनवातावरण को सक्रिय बनाने, एआई-डीपफेक मामलों का अययन करने और वास्तविक प्रदर्शनों के मायम सेए प्रतिभागियों को गहरे झूठ की पहचान करने और उसके प्रभाव सामने आने के लिए प्रैक्टिकल रणनीतियों और उपकरणों के साथ सशक्त किया गया। उन्होंने कहा कि डीपफेक तकनीक के द्वारा विभिन्न प्रकार के वित्तीय गोलमाल/खाड़ी की जा रही है। और चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। श्रावस्ती जनपद नेपाल देश की सीमा से जुड़ा हुआ है इसलिए प्रशासन द्वारा इस वर्कशप का आयोजन आगामी चुनाव में फर्जी ए0आई कन्टेण्ट, डीपफेक को पहचानने में मदद मिलेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि डिजिटल मीडिया और तेजी से बढ़ती तकनीक की युग में, गलत सूचनाओं का खतरा और ए0आई0 (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) अपरा चुनावी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। इस वर्कशप जैसी पहलों के मायम से सहयोग और ज्ञान-साझा करके, हम जनतंत्र के उन सिद्धांतों को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए सशक्त हैं, जिन पर हमारे राष्ट्र की नींव रखी गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

अपर आयुक्तने लो0स0सा0निर्वा0-2024 को निष्पक्ष शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

सुल्तानपुर (स्वतंत्र चेतना)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या अजय कान्त सैनी द्वारा मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं व तैयारियों के दृष्टिगत विधानसभा वार निरीक्षण किया गया। उन्होंने 189 सदर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल, कूरेभार, प्रा0वि0 कूरेभार, प्रा0 पाठशाला सिद्धि गणेश, 190-लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रा0वि0 जादीपुर, प्रा0वि0 सराय अचल, वि0क्षे0 भदैयाँ व 188- सुलतानपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत इंग्लिश मीडियम प्रा0वि0 कटका खानपुर, केश कुमारी राजकीय बालिका इण्टर कालेज मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)ध्उ प जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ला, एसडीएम जयसिंहपुर, एसडीएम लम्भुआ दीपक वर्मा, एसडीएम सदर टी0 प्रसाद,

सम्बन्धित क्षेत्र के बीएलओ.आदि उपस्थित रहे। अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या ने निरीक्षण के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर मूलभूत आवश्यकताओं (पेयजल, दिव्यांगों हेतु रैम्प, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर आदि) का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक के अनुरूप अब तक की गयी तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)ध्उप जिला निर्वाचन अधिकारी व सम्बन्धित एआरओ के साथ सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने जैसे- विद्युत, स्वच्छ पेयजल, रैम्प, पेन्टिंग, टेन्ट, शौंचालय (महिला, पुरूष) वैरीकेटिंग, बूथों की संख्या का अंकन, मडल बूथ, दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैम्प, मेज, कुर्सी, मच्छरदानी मसकीटो क्वाइल, स्वीप योजनान्तर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार आदि जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान करने योग्य युवाओं को 26 अप्रैल, 2024 तक फार्म-6 जरूर भरवायें, जिससे मतदान प्रतिशत को बेहतर किया जा सके। उन्होंने मतदान केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित को दिये। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाय। उन्होंने सभी केंद्रों पर निर्वाचक नामावलियों की जांच की तथा मतदाता जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक 8 2024

मतदाताओं की सुविधाओं के लिए जिलाधिकारी ने लांच किया 'माय बूथ बरेली' ऐप

बरेली। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदाताओं के प्रतिभाग को बढ़ाने हेतु मंडलायुक्त बरेली श्रीमती सौम्या अग्रवाल की प्रेरणा और ज़िलाधिकारी बरेली रविंद्र कुमार के सतत मार्गदर्शन में एन आई सी टीम बरेली द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन माय बूथ बरेली ऐप बनाया है, जिसेआप प्ले स्टोर सेडाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें मतदाताओं की सुविधा हेतु कई फैसिलिटी दी गई है। इस ऐप के द्वारा बरेली जनपद में आने वाले तीन लोक सभा क्षेत्र, 24-आंवला, 25-बरेली व 26-पीलीभीत के बहेड़ी क्षेत्र के मतदान बूथ के लोकेशन, संबंधित बी एल ओ के बारे में जानकारी, मतदान की तिथि और मतदान के दिन बूथ पर कतार में लगे लोगों की संख्या जानी जा सकती है। इस एप्लीकेशन में गूगल मैप की सहायता से बूथ तक पहुंचने का मार्ग दशांर्ने क्री भी सुविधा है। मतदान के दिन किसी भी समय पर लाइन में खड़े मतदाताओं की संख्या भी इस एप्लीकेशन द्वारा पता लग जाएगी, जिससे मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने जा सकते हैं और बिना लंबी प्रतीक्षा किए वोट डालकर

"MY BOOTH BAREILLY APP"

तुरंत वापस आ सकते हैं ।

शुरू में ज़िलाधिकारी बरेली रविंद्र कुमार द्वारा जमपद बरेली के शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने हेतु यह ऐप बनाने की पहल की गई थी क्योंकि बरेली नगर निगम क्षेत्र में आने वाले दो विधान सभा क्षेत्र यानी बरेली सिटी और बरेली कैण्ट विधान सभा क्षेत्र मैं पूर्व के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज लगभग 51 प्रतिशत रहा है, जो कि ज़िले के औसत वोटिंग परसेंटेज 61 प्रतिशत से काफी कम है, लेकिन बाद में ज़िलाधिकारी द्वारा यह सेवा पूरे जनपद के लिये लागू करने का निर्णय लिया गया। ज़िलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अधिकतर क्षेत्रों में मतदान 7 मई 2024 को है, जब अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी मई में कड़ाके की धूप और काफी गर्मी रहने की संभावना है। वैसे गर्म मौसम में मतदाता विशेषकर शहरी क्षेत्र के मतदाता बूथ पर ज्यादा समय प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं और यही सोचकर वोट डालने नहीं आते हैं। ऐसे तो ज़िला प्रशासन द्वारा हरेक बूथ पर शेड की व्यवस्था की गई है लेकिन उसके अलावा अब इस ऐप के माध्यम से अब मतदाता को यह पता लग जाएगा कि उनके बूथ पर मतदान के दिन उस समय कितने लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े हैं । जिससे मतदातागण अपनी सुविधानुसार उस समय घर से निकलेंगे, जब बूथ पर लंबी कतार खत्म हो जाएगी। कोई अन्य सूचना के लिये या शंका होने पर ऐप में दिये गये बी एल ओ के मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछ लेंगे । इससे मतदान में अवश्य ही मतदाता का प्रतिभाग बढ़ेगा, जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० स्वतंत्र चेतना, लखनऊ दिनांक - 8 APR 2024

जनपद में शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराना प्राथमिकता : जिलाधिकारी

पोलिंग बूथों पर दिव्यांग एवं वयोवृद्ध मतदाताओं हेतु व्हीलचेयर व वलेन्टियर्स की होगी व्यवस्था,मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की सुविधा हेतु व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी,क्रिटिकल व वल्नरेवल बूथों पर होगी कड़ी निगरानी, चप्पे-चप्पे पर रहेगा पुलिस का पहरा,अधिकतम मतदान कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर मतदाताओं को जागरुक करने के निर्देश,मतदाता जागरुकता प्रतियोगिता, रैलियों व बुलावा टोलियां के मायम से मतदाताओं को जागरुक करें

ललितपुर। जनपद में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने एवं मतदान प्रतिशत में वृद्धि हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन आकारी अक्षय त्रिपाठी ने विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन आकारी द्वारा आदर्श विद्यालय कम्पोजिट नगर क्षेत्र, जीडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल पिसनारी, उप्रवि. सिलगन, उप्रवि. सिवनीखुर्द में बने मतदेय स्थलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समस्त जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील बने रहकर निगरानी करें, क्रिटिकल एवं वल्नरेवल बूथों पर

कड़ी निगरानी रखें, ताकि मतदान में कोई बाा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मतदेय स्थलों सभी मूलभूत सुविााएं उपलब रहें, किसी भी मतदाता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस हेतु सभी बूथों पर पूर्व से ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा लें। प्रकाश एवं वैकल्पिक ऊर्जा हेतु जनरेटर, उचित साफ-सफाई, पीने का पानी, रैम्प, शौचालय, बेरीकेटिंग, छाया हेतु टेंट व्यवस्था, कुर्सियां एवं मेजों की व्यवस्था, कूलर, पंखा आदि की व्यवस्थाएं करायी जायें। दिव्यांग एवं वयोवृद्ध मतदाताओं हेतु व्हीलचेयर व वलेन्टियर्स की व्यवस्था की जाए। पुलिस आकारी मतदान के दौरान अराजक तत्वों पर बारीक नजर बनाये रखें, जिससे कोई घटना घटित न हो। जिला निर्वाचन आकारी ने कहा कि लोगो को आगामी 20 मई 2024 को मतदान के दिन अपने मतााकार का प्रयोग करने के हेतु प्रत्येक स्तर पर मतदाताओं को जागरूक किया जाए। 70 प्रतिशत से आिक मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समस्त विभाग अपनी अपनी कार्ययोजना बना लें। उन्होने कहा कि जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने तथा शत प्रतिशत मतदाताओं को मतदान करने के प्रति ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रो में विवाि आयोजन जैसे-रंगोली, चित्र कला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, साइकिल रैली, दिव्यांग ट्राइसाइकिल रैली सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ। निरीक्षण के उप जिलााकारी/सहायक रिटर्निंग आफीसर चन्द्रभूषण प्रताप, अाशासी अभियंता लघु सिंचाई, जोनल मज़िस्ट्रेट नैयर आलम, जिला प्रशिक्षण आकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट कमल किशोर कमल, खण्ड शिक्षा आकारी नगर-ज़खौरा, एसडीओ विद्युत सहित अन्य सम्बनित आकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम . दै० तरूण मित्र .... दिनांक 08 APR 2024

अपर आयुक्त ने मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

सुलतानपुर, 07 अप्रैल (तरुणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या अजय कान्त सैनी द्वारा मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं/ तैयारियों के दृष्टिगत विधान सभावार निरीक्षण किया गया। उन्होंने 189 सदर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल, कूरेभार, प्रा0वि0 कूरेभार, प्रा0 पाठशाला सिद्धि गणेश, 190-लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रा0वि0 जादीपुर, प्रा0वि0 सरायअचल, वि0क्षे0 भदैयाँ व 188-सुलतानपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत इंग्लिश मीडियम प्रा0वि0 कटका खानपुर, केश कुमारी राजकीय बालिका इण्टर कालेज मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ला, एसडीएम जयसिंहपुर, एसडीएम लम्भुआ दीपक वर्मा, एसडीएम सदर टी0 प्रसाद, सम्बन्धित क्षेत्र के बी.एल.ओ. आदि उपस्थित रहे। अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या द्वारा निरीक्षण के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर मूलभूत आवश्यकताओं (पेयजल, दिव्यांगों हेतु रैम्प, शौंचालय, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर आदि) का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक के अनुरूप अब तक की गयी तैयारियों का जायजा लिया गया।

उन्होंने अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी व सम्बन्धित एआरओ के साथ सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने जैसे- विद्युत, स्वच्छ पेयजल, रैम्प, पेन्टिंग, टेन्ट, शौंचालय (महिला, पुरूष) वैरीकेटिंग, बूथों की संख्या का अंकन, मॉडल बूथ, दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैम्प, मेज, कुर्सी, मच्छरदानी/ मॉसकीटो क्वाइल, स्वीप योजनान्तर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार आदि जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान करने योग्य युवाओं को 26 अप्रैल, 2024 तक फार्म-6 जरूर भरवायें, जिससे मतदान प्रतिशत को बेहतर किया जा सके।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम . **दै0 तरूण मित्र** .... दिनांक 0 8 APR 2024

सी विजिल ऐप से करें उल्लघन की शिकायत

गोण्डा, 07 अप्रैल (तरूणमित्र)। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय सम्बन्धी उपबन्धों के उल्लंघनों की शिकायत दर्ज करने के लिए सी विजिल एप विकसित किया गया है। सी विजिल ऐप का अर्थ है जागरूक नागरिक और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है। सी विजिल ऐप एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे संचालित करना आसान है, जिसका उपयोग वर्तमान संसदीय निर्वाचन की घोषणा की तारीख से उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। इस ऐप की विशेषता यह है कि यह केवल लाइव फोटो/वीडियों और ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि निगरानी टीम को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके। इस ऐप को ऐसे किसी भी स्मार्ट फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .. दै0 तरूण मित्र .... दिनांक 0 8 APR 2024

डीएम व एसएसपी की उपस्थिति में शस्त्र जमा के संबंध में बैठक आयोजित

इटावा, 07 अप्रैल (तरूणमित्र)। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शकुशल संपन्न कराए जाने हेतु समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारों के साथपरमीशन, अनुमति सी-बिजल क्रिटिकल बल्नरेविल शस्त्र जमा व 107, 116 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी समन्वय स्थापित करके चेकिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के समय हमें महिला संबंधी अपराधों एवं वाहनों की चेकिंग आदि को लेकर प्रतिबद्ध एवं कटुबंध होकर कार्य करना चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने यह भी अवगत कराया की आगामी ईद के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए ईद की नमाज रोड पर नहीं होनी चाहिए नवाज मस्जिद परिषद के अंदर ही होनी चाहिए जिस पर सभी संबंधित अधिकारी समय रहते व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि त्योहार एवं निर्वाचन आदि को लेकर आवारा पशुओं को सभी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर पशुओं को गौशाला में भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में शराब की दुकानों का आपके द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण रोस्टर बनाकर किया जाए एवं कमियां पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाए, साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए की समस्त उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियों द्वारा रजिस्टर बनाकर ही निरीक्षण किया जाए एवं निरीक्षण पंजिका में हस्ताक्षर अवश्य किए जाएं जिससे उच्च अधिकारियों के व प्रेक्षक के निरीक्षण पर अवगत कराया जा सके। यह भी निर्देश दिए गए की समस्त उपजिलाधिकारी वएवं क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन फ्लैग मार्च अवश्य करेंगे एवं आमजन की समस्याओं आदि को विस्तार से सुना जाए तथा समय से निस्तारण किया जाए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम .. दै० तरूण मित्र .... दिनांक 08 APR 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नवीन मंडी परिसर का किया निरीक्षण

रामपुर, 07 अप्रैल (तरूणमित्र)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 07-रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण,सकुशल और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जोगिन्दर सिंह के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने रामपुर शहर स्थित नवीन मंडी परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रही ईवीएम कमिशिनंग के कार्य को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम कमिशिनंग कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी होने चाहिए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कर्मचारी मोबाइल फोन लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।उन्होंने विधानसभा वार ईवीएम कमिशिनंग की तैयारी के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि कमिशिनंग के दौरान आयोग की गाइडलाइन का पूर्णतः अनुपालन होना चाहिए और गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित किया कि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेम सिंह,जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे जैन,अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव सहित समस्त एसडीएम एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...... दै० तरूण मित्र .... दिनांक ...08 APR 2024

प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने किया मंडी परिसर का भ्रमण

हरदोई07 अप्रैल (तरूणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में प्रशासनिक व सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी के नेतृत्व में आज जनपद के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने मंडी परिसर का भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने समस्त प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को चुनाव के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मंडी सचिव को निर्देशित किया कि सड़कों की मरम्मत का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दै० तरूण मित्र .... दिनांक 0 8 APR 2024

माय बूथ बरेली ऐप बताएगा, बूथ पर मतदाताओं की है कितनी भीड़

जनपद में पोलिंग प्रतिशत बढ़ाने में मदद दिलाएगा डीएम के मार्गदर्शन में बना मोबाइल ऐप

बरेली, 07 अप्रैल (तरूणमित्र)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदाताओं के प्रतिभाग को बढ़ाने हेतु मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की प्रेरणा और ज़िलाधिकारी रविन्द्र कुमार के सतत मार्गदर्शन में एनआईसी टीम द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन माय बूथ बरेली बनाई गई है, जिसमें मतदाताओं की सुविधा हेतु कई फैसिलिटी दी गई है। ऐप के द्वारा बरेली जनपद में आने वाले तीन लोक सभा क्षेत्र, 24-आंवला, 25-बरेली व 26-पीलीभीत के बहेड़ी क्षेत्र के मतदान बूथ के लोकेशन, संबंधित बीएलओ के बारे में जानकारी, मतदान की तिथि और मतदान के दिन बूथ पर कतार में लगे लोगों की संख्या जानी जा सकती है। इस एप्लीकेशन में गूगल मैप की सहायता से बूथ तक पहुंचने का मार्ग दशार्ने की भी सुविधा है। मतदान के दिन किसी भी समय पर लाइन में खड़े मतदाताओं की संख्या भी इस एप्लीकेशन द्वारा पता लग जाएगी, जिससे मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने जा सकते हैं और बिना लंबी प्रतीक्षा किए वोट डालकर तुरंत वापस आ सकते हैं।

बता दें कि शुरू में ज़िलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जनपद बरेली के शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने हेतु यह ऐप बनाने की पहल की गई थी क्योंकि बरेली नगर निगम क्षेत्र में आने वाले दो विधान सभा क्षेत्र यानी बरेली सिटी और बरेली कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में पूर्व के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज लगभग 51% रहा है, जो कि ज़िले के औसत वोटिंग परसेंटेज 61% से काफी कम है, लेकिन बाद में ज़िलाधिकारी द्वारा यह सेवा पूरे जनपद के लिये लागू करने का निर्णय लिया गया। ज़िलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अधिकतर क्षेत्रों में मतदान 7 मई 2024 को है, जब अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी मई में कड़ाके की धूप और काफी गर्मी रहने की संभावना है । वैसे गर्म मौसम में मतदाता विशेषकर शहरी क्षेत्र के मतदाता बूथ पर ज्यादा समय प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं और यही सोचकर वोट डालने नहीं आते हैं। ऐसे तो ज़िला प्रशासन द्वारा हरेक बूथ पर शेड की व्यवस्था की गई है लेकिन उसके अलावा अब इस ऐप के माध्यम से अब मतदाता को यह पता लग जाएगा कि उनके बूथ पर मतदान के दिन उस समय कितने लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े हैं। जिससे मतदातागण अपनी सुविधानुसार उस समय घर से निकलेंगे, जब बूथ पर लंबी कतार खत्म हो जाएगी। कोई अन्य सूचना के लिये या शंका होने पर ऐप में दिये गये बीएलओ के मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछ लेंगे । इससे मतदान में अवश्य ही मतदाता का प्रतिभाग बढ़ेगा, जो कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है।

इस ऐप के डेटाबेस में जनपद बरेली के समस्त 3492 बूथ के विधान सभा वार विवरण जैसे बूथ संख्या और नाम, बूथ का अक्षांश-देशांतर में लोकेशन, बूथ के बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर आदि फीड किए गए हैं, जिससे मतदाताओं को सही जानकारी मिल सके। एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 8 APR 2024

व्यापारी सम्मेलन में मतदान करने का संकल्प लेते हुए।

फोटो : एसएनबी

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...... दै0 तरूण मित्र .... दिनांक .... 08 APR 2024

चुनाव में कानून व्यवस्था को ले डीएम ने की बैठक

हरदोई, 07 अप्रैल (तरूणमित्र)। स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक हुई।

जिलाधिकारी ने कार्मिकों के प्रशिक्षण, ईवीएम के रैण्डमाइजेशन व नामांकन के दौरान सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। नामांकन के दौरान बैरीकेटिंग की उचित व्यवस्था की जाये। पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल व कलेक्शन सेंटर पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। उन्होंने बताया कि नामांकन के साथ सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक व व्यय प्रेक्षक जनपद में आएंगे। महिलाओं को समर्पित बूथों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाये। युवाओं को समर्पित बूथों पर अन्य कर्मियों के साथ ही युवा सुरक्षा कर्मी तैनात किये जाएं। घर पर मतदान के इच्छुक दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटरों के बैलट मतदान के दौरान सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तैनाती की जाये। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रो में अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाये। 12 व 13 मई को शराब की सभी दुकाने बन्द रखी जाएं। कंट्रोल रूम के नंबर 1950 पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निस्तारण कराया जाये। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये। सार्वजनिक संपत्ति पर कोई चुनाव सामग्री न लगने दी जाये। निजी संपत्ति पर मालिक की सहमति से प्रचार सामग्री. लगायी जाये। बिना अनुमति के चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल न होने दिया जाये। एक जुलूस में एक साथ 10 से अधिक वाहनों की अनुमति न दी जाये। शस्त्र जमा कराने की कार्रवाई तेजी से की जाये। शस्त्रों की दुकानों का नामांकन से पूर्व सत्यापन करा लिया जाये। वलनरेबल बूथों पर मतदाताओं से संवाद किया जाये। गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। 18 अप्रैल से अन्य जिलों से लगने वाली सीमाओं पर एसएसटी को तैनात किया जाये। इन सभी 28 नाकों पर बैरियर लगाया जाये। बाहर से आने वाले सुरक्षा कर्मियों के रुकने की उचित व्यवस्था की जाये। सभी मतदान केन्द्रो पर विद्युत संयोजन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप व सी विजिल ऐप को डाऊनलोड करें व अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि सभी स्तरों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। सभी थानों में स्वीप से सम्बंधित होर्डिंग लगवाई जाएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।